पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024 ई0 (माघ 28, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–07

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	123–189	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	57–64	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	01–09	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	93–94	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

न्याय अनुभाग–1

अधिसूचना

नियुक्ति

29 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 05 / नो0डी0 / XXXVI-A-1/2024-12 नो0डी0 / 2023–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री रमेश कुमार वर्मा, अधिवक्ता को दिनांक 29.01.2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील जाखणीधार, जिला पौड़ी गढवाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री रमेश कुमार वर्मा का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 05/No-D/XXXVI-A-1/ 2024-12 No-D/2023 Dated- January 29, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

January 29, 2024

No. 05/No-D/XXXVI-A-1/2024-12 No-D/2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Ramesh Kumar Verma, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 29-01-2024 for Tehsil Jakhnidhar, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Ramesh Kumar Verma be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

अधिसूचना

नियुक्ति

29 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 06 / नो0डी0 / XXXVI-A-1/2024-13नो0डी0 / 2023–श्री राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 (अधिनियम संख्या–53, सन् 1952) की धारा–3 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री रतन सिंह, अधिवक्ता को दिनांक 29.01.2024 से अग्रेत्तर पांच वर्ष की अवधि के लिये तहसील सतपुली, जिला पौड़ी गढवाल में नोटरी नियुक्त करते हैं और नोटरीज रूल्स 1956 के नियम–8 के उपनियम (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके यह भी निदेश देते है कि श्री रतन सिंह का नाम उक्त अधिनियम की धारा–4 के अधीन रखे गये नोटरी पंजिका में प्रविष्ट किया जाय।

आज्ञा से,

नितिन शर्मा,

प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Notification No. 06/No-D/XXXVI-A-1/2024-13 No-D/2023 Dated- January 29, 2024.

NOTIFICATION

Appointment

January 29, 2024

No. 06/No-D/XXXVI-A-1/2024-13 No-D/2023--In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Notaries Act, 1952 (Act No- 53 of 1952), the Governor is pleased to appoint Mr. Ratan Singh, Advocate as Notary for a period of five years with effect from 29-01-2024 for Tehsil Satpuli, District Pauri Garhwal and in exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 8 of Notaries Rules, 1956 also directs that the name of Mr. Ratan Singh be entered in the register of Notaries maintained under Section 4 of the said Act.

By Order,

NITIN SHARMA,

Principal Secretary, Law-cum-L.R.

पर्यटन अनुभाग

ई–पत्रावली संख्या–65335

अधिसूचना

31 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 1/186330/VI(1)/2024–शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वाईब्रेन्ट विलेज योजनान्तर्गत सीमान्त गांव जादुंग उत्तरकाशी, उत्तराखण्ड के पर्यटन विकास हेतु होम–स्टे कलस्टर के रूप में विकसित करने हेतु योजना एतदद्वारा प्रख्यापित की जाती है।

वाईब्रेन्ट विलेज योजनान्तर्गत सीमान्त गांव जादुंग उत्तरकाशी के पर्यटन विकास हेतु होम–स्टे कलस्टर के रूप में विकसित करने हेतु योजना

हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित, उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घीरे उत्तराखण्ड राज्य में नैसर्गिक छटा एवं सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुये अनेकों पर्यटक स्थल एवं गांव अवस्थित है। उत्तरकाशी जनपद का जादुंग गांव भी एक ऐसा ही सीमावर्ती ग्राम है। सीमान्त गांव जादुंग भारत सरकार द्वारा संचालित "वाईब्रेन्ट विलेज" के अन्तर्गत चिन्हित है जिसमें अवस्थापना सम्बन्धित कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

जादुंग परिचय

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में तिब्बत सीमा पर अवस्थित जादुंग गांव एक सीमान्त गांव है, जो गृह मंत्रालय, भारत सरकार की वाईब्रेन्ट विलेज प्रोग्राम में उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिन्हित 51 गांवों में से एक है।

जादुंग गांव में 1962 से पूर्व ग्रामवासी तिब्बत के साथ ऊन व नमक का व्यापार कर अपनी आजीविका चलाते थे, किन्तु वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के कारण यह गांव खाली करवाकर जादुंग गांव के निवासियों को हर्षिल (बगोरी) व डुण्डा गांव में विस्थापित कर दिया गया तब से गांव में गांववासी अध्यासित नही हैं।

गांव में स्थानीय लोगो के वर्तमान में भी पुराने घर अभी भी क्षतिग्रस्त स्थिति में खंडहर/अवशेष के रूप में विद्यमान हैं। ज्ञातव्य है कि यहां के निवासियों का वर्ष 1962 से पूर्व तिब्बत के साथ व्यापार होने के दृष्टिगत ऐतिहासिक महत्व है। यहां की जलवायु व प्राकृतिक सौंदर्य भी अत्यन्त मनमोहक है।

जादुंग गांव तिब्बत बॉर्डर से लगभग 30 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है तथा जादुंग गांव इनरलाईन एरिया में आता है तथा वर्तमान में जादुंग गांव में प्रवेश हेतु जिला प्रशासन द्वारा इनर लाइन परमिट केवल ग्राम जादुंग के विस्थापित निवासियों एवं सरकारी कर्मियों को ही Day Visit की अनुमति प्रदान की जाती है।

उल्लेखनीय है कि पर्यटक स्थल नेलांग वैली से जादुंग ग्राम की दूरी लगभग 16 कि0मी0 है। यद्यपि नेलांग वैली भी इनर लाइन एरिया में आता है परन्तु यहां तक पर्यटको को प्रवेश हेतु Day Visit हेतु इनरलाईन परमिट उपजिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा अनुमति दी जाती है।

<u>उद्देश्य</u>

1. वाईब्रेन्ट विलेज जादुंग में पर्यटन गतिविधियां प्रारम्भ करना।
2. जादुंग के खण्डहर रूपी भवनों का निर्माण/पुनर्निमाण करना।
3. गांव के मूल निवासियों को स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिकी को सबल बनाना।
4. सीमान्त गांव जादुंग में पर्यटकों की आवाजाही होने के फलस्वरूप इसका सुरक्षा एवं सामरिक दृष्टि से भी महत्व होगा।

<u>चुनौतियां</u>

1. विषम भौगोलिक एवं वातावरणीय परिस्थितियां।
2. यद्यपि जादुंग गांव तक पक्की मोटर रोड़ उपलब्ध है, परन्तु यात्रा मार्ग पर दो–तीन स्थानों पर लैण्डस्लाईड एवं जादुंग गांव से लगभग 1 किमी0 पहले एक–दो स्थानों पर शीतकाल में यात्रा मार्ग पर Snow Avalanche की सम्भावनायें बनी रहती है।
3. वर्तमान में गांव पूर्ण रूप से खाली है, क्योंकि वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण यह गांव खाली करवाकर जादुंग गांव के निवासियों को हर्षिल (बगोरी) व डुण्डा गांव में विस्थापित कर दिया गया था तथा वर्तमान में स्थानीय गांव वासी बगोरी व डुण्डा गांव में निवासरत है।
4. जादुंग गांव लगभग 12800 फीट (3900 मी0) की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सालभर में मात्र 04 महीने (मई–जून एवं सितम्बर–अक्टूबर) में पर्यटकीय गतिविधियों हेतु उपयोगी हो सकता है।

<u>अवसर</u>

1. वाईब्रेन्ट विलेज योजनान्तर्गत जादुंग गांव का मॉडल विलेज के रूप में विकास।
2. 1962 में खाली कराये गये कतिपय भवनों का पर्यटकों के उपयोगार्थ निर्माण/पुनर्निर्माण करवाने एवं गांव के मूल निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
3. सीमान्त गांव जादुंग तक सतत् पर्यटन गतिविधियों का विकास।
4. नये पर्यटक गन्तव्य स्थल का विकास।

पात्रता

1. - आवेदक सीमावर्ती ग्राम जादुंग का विस्थापित निवासी हो।
2. - आवेदक की जादुंग गांव में राजस्व अभिलेखों में भूमि/भवन दर्ज हो।
3. - आवेदक गृह आवास (होम–स्टे)/भवन के निर्माण हेतु विवाद रहित न्यूनतम अपेक्षित भूमि 500 वर्ग फीट का स्वामी हों।
4. - किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का व्यक्तिक्रमी/डिफॉल्टर न हो एवं आवेदक को किसी भी न्यायलय द्वारा दिवालिया, पागल अथवा अपराधी घोषित न किया गया हो।
5. - आवेदक के सगे सम्बन्धी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में ग्राम जादुंग में भूमि/भवन दर्ज होने की दशा में यदि भू/भवन–स्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में भवन/होमस्टे निर्माण हेतु शपथ पत्र के माध्यम से अपनी अनापत्ति प्रदान की जाती है तो ऐसी दशा में आवेदक को योजना का लाभ अनुमन्य हो सकेगा।

चयन प्रक्रिया

योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जादुंग ग्राम के राजस्व अभिलेखों में दर्ज 8.054 है0 भूमि के भू–स्वामियों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा। चयन समिति द्वारा निर्धारित समय–सीमा में प्राप्त आवेदन पत्रों पर बैठक आहूत कर चयन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

(क)– चयन एवं क्रियान्चयन तथा अनुश्रवण समिति की संरचनाः–

आवेदकों के चयन एवं योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् चयन/क्रियान्वयन/अनुश्रवण समिति का गठन किया जाता हैः–

- जिलाधिकारी – उत्तरकाशी — अध्यक्ष
- मुख्य विकास अधिकारी – उत्तरकाशी — सदस्य
- उपजिलाधिकारी – भटवाड़ी — सदस्य
- अधिशासी अभियन्ता/महाप्रबन्धक सम्बन्धित निर्माण इकाई — सदस्य
- खण्ड विकास अधिकारी –भटवाडी — सदस्य
- जिला पर्यटन विकास अधिकारी– उत्तरकाशी — सदस्य/सचिव

नोटः– चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार जादुंग ग्राम के प्रतिनिधि को विशेष आमन्त्रित सदस्य के रूप में आमन्त्रित किया जा सकेगा।

(ख)– चयन एवं कियान्वयन तथा अनुश्रवण समिति के कर्तव्य एवं उत्तरादायित्वः–

1. - समिति जनपद उत्तरकाशी के जादुंग गांव के अर्ह आवेदकों के चयन, योजना की भौतिक प्रगति का क्रियान्वयन व अनुश्रवण करेगी।
2. - चयन समिति द्वारा आवेदकों का चयन किया जायेगा, जिसमें प्रथम चरण में 06 खंडहर भवनों का विकास/पुनर्निर्माण कार्य किया जाना।
3. -चयन समिति प्रत्येक आवेदन पत्र का परीक्षण करेगी और भवन/होम स्टे निर्माण हेतु पूर्व निर्धारित भवन मानचित्र के अनुरूप आवेदकों का चयन करेगी।
4. - चयन समिति द्वारा भूमि की उपलब्धता एवं साईट की स्थिति व अन्य तथ्यों के आधार पर भवन/होम–स्टे का चयन किया जायेगा, उसी के अनुरूप चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा पारम्परिक पहाड़ी शैली के भवन का मानचित्र तैयार किया जायेगा।

5. - चयनित आवेदकों के खण्डहर रूपी भवन का निर्माण/पुनर्निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित भवन मानचित्र/प्लान के अनुरूप उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
6. - योजनाओं की मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति से उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।
7. - समिति द्वारा समय-समय पर योजना की सार्थकता एवं उपादेयता को सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से वर्ष में त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक लाभार्थी/उद्यमी की परियोजना का भौतिक सत्यापन, एवं वाणिज्यिक सफलता का मूल्यांकन किया जायेगा। दुरूपयोग/दुर्विनियोग की अवस्था में, विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
8. - समिति, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद को निर्माणदायी संस्था को अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संस्तुति सहित मांग प्रेषित करेगी।
9. - जिन प्रकरणों पर समिति निर्णय लेने में असमर्थ हो उन्हें उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्/शासन को संदर्भित करेगी। आवश्यकता पड़ने पर जिलाधिकारी द्वारा क्षेत्र विशेष की परिस्थितियों तथा आवेदनकर्ताओं की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये विषय विशेषज्ञों/ सम्बन्धित अधिकारियों को भी बैठक हेतु विशेष आमंत्री के रूप में जिलाधिकारी द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है।

होम-स्टे संचालक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः-

1. - होम-स्टे का बीमा (संचालन अवधि हेतु), फर्नीशिंग, साज-सज्जा, क्राकरी, फर्नीचर एवं अनुरक्षण आदि की व्यवस्था सम्बन्धित संचालन द्वारा स्वयं के संसाधनों से करनी अनिवार्य होगी।
2. - अतिथियों के खान-पान की व्यवस्था होम-स्टे संचालक द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
3. - होम-स्टे भवन का उचित रख-रखाव एवं विधिवत् संचालन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संचालक की होगी।
4. - होम-स्टे संचालक द्वारा पंजीकृत होम-स्टे इकाई का उपयोग पर्यटन गतिविधियों के अलावा किसी अन्य व्यावसायिक उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
5. - होम-स्टे संचालक को चयन मानदंड के अनुसार बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए निर्धारित नियमों, दिशा निर्देशों का पालन करना होगा।
6. - लाभार्थी को होम-स्टे संचालन हेतु कौशल विकास एवं आतिथ्य सत्कार गतिविधियों के संचालनार्थ प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने की व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा करायी जायेगी।
7. - होम-स्टे संचालक को विभाग द्वारा निर्मित होम-स्टे का संचालन 10 वर्षो के लिए अनिवार्य होगा। 10 वर्ष के भीतर, इस प्रकार सृजित आस्तियों का न तो निस्तारण किया जायेगा और न ही उसका उपयोग उस प्रयोजन से जिसके लिए दी गयी है, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भवन उपयोग में लाये जाने की दशा में इस भवन के निर्माण पर हुये शासकीय व्यय की धनराशि मय ब्याज सम्बन्धित आवेदक से वसूली जायेगी।
8. - विभाग द्वारा निर्मित भवन में आवश्यक मरम्मत के अलावा भवन की मूल संरचना में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण अनुमन्य नही होगा।

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वः-

1. - यह योजना पर्यटन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित की जायेगी।

2. - योजना में होम–स्टे निर्माण हेतु Ecologicaly Sustainable Parameter के अनुरूप भिज्ञ संस्था से डिजायन/मानचित्र एवं आगणन तैयार कराया जायेगा।
3. - भवन/होम–स्टे निर्माण, निर्माण संस्था/विभाग के निर्धारण, लाभार्थियों के कौशल विकास/प्रशिक्षण,, एवं Market linking आदि हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा
4. - यथासंभव पारम्परिक वास्तुकला एवं उत्तराखण्डी निर्माण शैली के भवन/गृह आवास (होम–स्टे) का निर्माण करवाया जायेगा।
5. - होम–स्टे निर्माण एवं संचालन हेतु लाभार्थी, निर्माण इकाई एवं उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के मध्य एक त्रिपक्षीय (Tripartite) अनुबन्ध निष्पादित कर होम–स्टे निर्माण एवं संचालन कराया जायेगा।
6. - उत्तराखण्ड पर्यटन विकास द्वारा जिला चयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर लाभार्थियों के गृह आवास (होम–स्टे) निर्माण हेतु चरणबद्ध रूप से धनराशि निर्माणदायी संस्था को उपलब्ध करायेगी।
7. - फैसिलिटेशन एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जायेगी।

निर्माणदायी संस्था के कृत्य एवं वित्तीय उपादानः–

1. - निर्माण हेतु नामित संस्था/विभाग द्वारा सम्बन्धित लाभार्थी की योजना स्वीकृत होने की तिथि से निर्धारित समयाविधि के भीतर होमस्टे का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
2. - निर्माण संस्था/विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित स्वीकृत भवन मानचित्र/डिजायन एवं आगणन में इंगित विशिष्टियों के अनुसार ही निर्माण किया जायेगा।
3. - निर्माण संस्था/विभाग द्वारा प्रत्येक माह की भौतिक प्रगति जिला चयन समिति एवं उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्, मुख्यालय को उपलब्ध करानी अनिवार्य होगी।
4. - निर्माण इकाई द्वारा यथासंभव स्थानीय सामग्री/उत्पादों का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जायेगा।

गृह आवास (होम–स्टे) विकास/निर्माण हेतु निधि का सृजनः–

पर्यटन विभाग के आय–व्ययक में योजना हेतु एकमुश्त धनराशि का प्राविधान किया जायेगा, जिसका उपयोग चयन समिति द्वारा होम–स्टे संचालन हेतु चयनित आवेदकों के होम–स्टे निर्माण हेतु किया जायेगा। आय व्ययक की धनराशि निदेशक पर्यटन/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् देहरादून के निवर्तमान पर रखी जायेगी।

रियायतें/छूट (Exemptions) :–

1. - होम–स्टे से प्राप्त आय पर प्रथम 03 वर्षों तक SGST की धनराशि की प्रतिपूर्ति विभाग द्वारा की जायेगी।
2. - विद्युत/पानी/भवन कर आदि जैसे शुल्क/कर को अव्यवसायिक दरों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा वसूला जा सकेगा।
3. - भवन निर्माण हेतु भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

फैसिलिटेशन एवं मार्केटिंगः–

1. - उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा पंजीकृत होम–स्टे के लिए पृथक से पोर्टल/वेब–साइट तथा विकसित किया जायेगा, जिसमें होम–स्टे से सम्बन्धित समस्त जानकारियां विद्यमान होंगी।

2. - ऑन–लाईन एवं ऑफलाईन व्यवसायिक मार्केटिंग की सुविधा भी निःशुल्क होम–स्टे मालिकों को प्रदान की जायेगी।
3. - होम–स्टे संचालन हेतु आवश्यकतानुसार Aggregator की व्यवस्था/सुविधा लाभार्थी को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान किया जायेगा।
4. - होम–स्टे के फैडरेशन बनवाकर उनके प्रतिनिधियों द्वारा होम–स्टे के प्रचार–प्रसार हेतु विभाग द्वारा जिन राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय ट्रैवल मार्टस् में प्रतिभाग किया जाता है, में निःशुल्क प्रतिभाग किये जाने का अवसर प्रदान किया जायेगा।
5. - पर्यटकों की सुविधार्थ होम–स्टे की रेटिंग व्यवस्था होगी जिससे किसी होम–स्टे के बारे में पर्यटकों को उनके स्तर की जानकारी के साथ ही होम–स्टे मालिकों के मध्य भी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होगी।

लेखा परीक्षाः–

इस योजना हेतु शासन से प्राप्त होने वाली धनराशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् के कोषागार स्थित पी0एल0ए0 में जमा की जायेगी। योजना की लेखा परीक्षा महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा की जायेगी।

राजकीय सहायता के भुगतान की स्वीकृति के समस्त आदेशों की एक प्रति महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून, वित (व्यय नियंत्रण) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, पर्यटन अनुभाग और वित (आय–व्ययक) अनुभाग को पृष्ठांकित की जायेगी।

सचिन कुर्वे,
सचिव।

धर्मस्व एवं संस्कृति अनुभाग

अधिसूचना

08 फरवरी, 2024 ई0

संख्या 179929/2024–राज्यपाल, उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की संगत धारा 26(2)(घ) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए **'श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर सेवा'** में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर सेवा नियमावली, 2023

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर सेवा नियमावली, 2023 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
सेवा की प्रास्थिति	2.	श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर सेवा ऐसी सेवा है, जिसमें समूह 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' के पद सम्मिलित हैं।
परिभाषाएं	3.	जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) 'अधिनियम' से उत्तर प्रदेश श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) अभिप्रेत है;

(ख) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अध्यक्ष श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति अभिप्रेत है;

(ग) 'भारत का नागरिक' से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाए;

(घ) 'समिति' से अधिनियम की धारा 5 के अधीन स्थापित/गठित श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर समिति अभिप्रेत है;

(ड़) 'संविधान' से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ज) 'हिन्दु धर्म' से हिन्दुओं का ऐसा सम्प्रदाय, जो सनातन धर्म को मानते हैं या उसमें विश्वास रखते हैं, अभिप्रेत है;

(झ) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर हिन्दू धर्म का अनुयायी और इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या इस नियमावली आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) 'अध्यक्ष' से अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के तहत राज्य सरकार द्वारा नामित श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर समिति के अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ट) 'सेवा' से श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर समिति सेवा अभिप्रेत है;

(ठ) मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो, तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों अथवा अधिनियम की संगत धारा/निहित प्राविधान द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई हो; तथा

(ड) 'भर्ती का वर्ष' से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग 2–संवर्ग

सेवा संवर्ग — 4. (1) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर अधिनियम की

संगत धारा/विहित प्रावधान के अनुसार मंदिर समिति द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से निर्धारित की जाय।

(2) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन पारित आदेशो द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है:

परन्तु यह कि–

(i) नियुक्त प्राधिकारी किसी खाली पद को रिक्त छोड सकेंगे अथवा राज्यपाल अधिनियम, की संगत धारा/विहित प्रावधानानुसार किसी पद को इस प्रकार प्रास्थागित रख सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हक़दार नहीं होगा।

(ii) अध्यक्ष, मंदिर समिति अधिनियम की संगत धारा/विहित प्रावधानानुसार ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद राज्य सरकार के अनुमोदन से सृजित कर सकते है, जैसा वे उचित समझे।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(क) प्रशासनिक सेवा संवर्ग		
क्र.सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत
1.	मुख्य कार्याधिकारी	अधिनियम की धारा 14 के अधीन राज्य सरकार द्वारा तत्समय विहित यथा प्रकिया के अनुसार नियुक्त।
2.	विशेष कार्याधिकारी	राज्य सरकार द्वारा तत्समय विहित यथा प्रकिया के अनुसार नियुक्त।
(ख) विधि एवं सम्पति सेवा उप संवर्ग		
1.	विधि अधिकारी	सीधी भर्ती द्वारा।
2.	सम्पति निरीक्षक	सीधी भर्ती द्वारा।
(ग) अधीनस्थ सेवा संवर्ग		
1.	उप मुख्य कार्याधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य समकक्ष ग्रेड वेतन के पदों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, योग्यता, उपयुक्तता एवं अनुभव के आधार पर अध्यक्ष, मंदिर समिति के अनुमोदनोपरान्त पदोन्नति द्वारा।
2.	कार्याधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य समकक्ष ग्रेड वेतन के पदों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर

		ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, योग्यता, उपयुक्तता एवं अनुभव के आधार पर मन्दिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष, मंदिर समिति के अनुमोदनोपरान्त पदोन्नति द्वारा।
3.	मन्दिर अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी एवं अन्य समकक्ष ग्रेड वेतन के पदों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, योग्यता, उपयुक्तता एवं अनुभव के आधार पर अध्यक्ष, मंदिर समिति के अनुमोदनोपरान्त पदोन्नति द्वारा।
4.	प्रचार अधिकारी	सीधी भर्ती।
	(घ) लिपिक सेवा संवर्ग–(लिपिक उप सेवा संवर्ग–1)	
1.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, मे से अनुपयुक्त अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
2.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 20 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
3.	प्रशासनिक अधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रधान सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो अथवा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 17 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
4.	प्रधान सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वरिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
5.	वरिष्ठ सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायक, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा

		पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
6.	कनिष्ठ सहायक /कम्प्यूटर आपरेटर/ डाटा एण्ट्री आपरेटर	(1) 60 प्रतिशत पद सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा । (2) समूह 'घ' के ऐसे कर्मचारियों में से, 15 प्रतिशत जो हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण हों तथा 10 प्रतिशत जो इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जायेगी; परन्तु यह कि यदि समूह 'घ' में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में, समूह 'घ' से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को सीधी भर्ती/संविलियन के माध्यम से भरा जा सकेगा। (3) लिपिक संवर्ग के निम्नतम श्रेणी के कुल पदों के 05 प्रतिशत रिक्तियां वाहन चालकों जो हाईस्कूल की परीक्षा अथवा उससे उच्चतर परीक्षा उत्तीर्ण हों, में से पदोन्नति द्वारा। परन्तु यह कि यदि वाहन चालकों में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में, वाहन चालक से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को समूह 'घ' के कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरा जा सकेगा। (4) 10 प्रतिशत ऐसे सीजनल लिपिकों में से जिन्होंने इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा न्यूनतम हाईस्कूल परीक्षा अथवा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करने की शैक्षिक अर्हता धारित करते हों, परन्तु यह कि यदि सीजनल लिपिक में नियमित पात्र कर्मचारी कार्यरत उपलब्ध न हों तो उस सीमा तक लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग की निम्नतम श्रेणी में, सीजनल लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग से पदोन्नति हेतु चिन्हित रिक्त पदों को सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा भरा जा सकेगा। टिप्पणीः— लिपिक वर्ग के न्यूनतम पद पर भर्ती हेतु कार्यालय में कार्यरत श्रेणी 'घ' एवं वाहन चालक जो 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर चुके हों, तथा कार्यालय में कार्यरत ऐंसे सीजनल लिपिक जिनकी 05 वर्ष की सेवा पूर्ण हो गयी हो, पात्रता क्षेत्र में आयेंगे। समूह 'घ' एवं वाहन चालक तथा सीजनल लिपिक से पदोन्नति हेतु, लिपिक वर्ग के पदों पर भर्ती के लिये, आरक्षित रिक्तियों पर चयन, श्रेष्ठता के आधार पर एक साधारण परीक्षा लेकर किया जायेगा। परीक्षा में केवल एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें सामान्य

		हिन्दी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा अधिकतम 40 अंक की होगी तथा पात्र कर्मचारी की वार्षिक चरित्र पंजिका हेतु 10 अंक होंगे। चतुर्थ श्रेणी सीजनल लिपिक एवं वाहन चालक पद पर कार्य अनुभव हेतु प्रत्येक वर्ष के लिये 02 अंक दिये जायेंगे तथा कार्य अनुभव के लिये अधिकतम 50 अंक निर्धारित किये जायेंगे। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 100 अकों की होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त 50 अंकों की हिन्दी टंकण परीक्षा भी ली जायेगी। टंकण परीक्षा में 2400 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति से कम टंकण करने वाले अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगी। इस प्रकार चयन परीक्षा कुल 150 अंको की होगी।
	<u>लेखा सेवा संवर्ग</u>	
1.	वित्त अधिकारी	राज्य सरकार द्वारा तत्समय विहित यथा प्रकिया के अनुसार नियुक्त।
2.	लेखाधिकारी	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे लेखाकार/कोषाध्यक्ष/खंजाची में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हुये, विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3.	लेखाकार/कोषाध्यक्ष/ खजांची	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हुये, विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
4.	सहायक लेखाकार	सीधी भर्ती द्वारा।
	<u>मंदिर/यात्रा व्यवस्था उप सेवा संवर्ग–3</u>	
1.	व्यवस्थापक	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।
2.	प्रबन्धक	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।
3.	मीडिया प्रभारी	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।

4.	फीचर लेखिका	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
5.	इन्टरनेट कार्डिनेटर	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
6.	मंदिर सुपरवाईजर	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
7.	वर्क सुपरवाईजर	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
8.	भोग मोहर्रिर, श्री केदारनाथ धाम	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
	वैयक्तिक सहायक / विशेष कार्याधिकारी (ज.स.) / जनसम्पर्क उप सेवा संवर्ग–4	
1.	विशेष कार्याधिकारी (ज.स) / जनसम्पर्क अधिकारी (मुख्यालय)	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे वैयक्तिक सहायक एवं समकक्ष पदों में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 15 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, योग्यता, उपयुक्तता एवं अनुभव के आधार पर मन्दिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष, मंदिर समिति के अनुमोदनोपरान्त।
2.	वैयक्तिक सहायक	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
	अधीनस्थ अभियन्त्रण एवं प्राविधिक उप सेवा संवर्ग	
1.	अधिशासी अभियन्ता	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक अभियन्ता में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
2.	सहायक अभियन्ता	(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा। (2) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अवर अभियन्ता में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 07 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।
3.	अवर अभियन्ता	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
4	फोटो ग्राफर	सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा।
5.	चालक	(एक) 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती / संविलियन द्वारा। (दो) 50 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे परिचालक में से जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 02 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा।

6.	परिचालक	(एक) सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
7.	वायरमैन	(एक) सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
8.	प्लम्बर	(एक) सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
	श्री उत्तराखण्ड भैषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण विद्यालय एवं फार्मेसी विद्यापीठ	
1.	प्रधानाचार्य	पदोन्नति द्वारा।
2.	प्रवक्ता	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।
3.	वैद्य	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।
4.	डिमास्ट्रेटर	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।
5.	फार्मेसिस्ट	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।
6.	प्रयोगशाला सहायक	सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा।
7.	वार्ड बॉय	(एक) सीधी भर्ती/संविलियन द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
	सीजनल लिपिक/लिखवार (यात्राकालीन)	
1.	सीजनल लिपिक /लिखवार (यात्राकालीन)	(एक) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (दो) 25 प्रतिशत पद समूह 'घ' के ऐसे सीजनल/यात्राकालीन कर्मचारियों में से जिनके द्वारा इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली गयी हो एवं नियम 5(घ) 6(4) में टिप्पणी में उल्लिखित व्यवस्था के अंतर्गत श्रेष्ठता के आधार पर परीक्षा लेकर भर्ती की जा सकेगी; परन्तु यह कि यदि समूह 'घ' में निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित पात्र कार्मिक उपलब्ध न रह जाय, तो सीजनल लिपिक के समस्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

सीजनल/यात्राकालीन–चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/केयरटेकर/माली/स्वयं सेवक/स्वच्छक/ सेवाकार:		
1.	चपरासी	(एक) आउटसोर्स। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
2.	केयरटेकर	(एक) आउटसोर्स। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
3.	माली	(एक) आउटसोर्स। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
4.	स्वयं सेवक	आउटसोर्स।
5.	स्वच्छक	(एक) आउटसोर्स। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
6.	सेवाकार	(एक) आउटसोर्स। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग–दफेदार/चपरासी/सहायक/सुरक्षा गार्ड/गार्ड (चौकीदार)/ माली/पाचक/चौकीदार/खजाना गार्ड/केयरटेकर/फुलारा/फार्मेसी सहायक (श्रमिक)/दफ्तरी		
1.	दफेदार	आउटसोर्स द्वारा।
2.	सहायक	(एक) आउटसोर्स। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
3.	सुरक्षा गार्ड	(एक) आउटसोर्स। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
4.	माली	(एक) आउटसोर्स द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
5.	पाचक	(एक) आउटसोर्स द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।

6.	चौकीदार	(एक) आउटसोर्स द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
7.	सीजनल अनुचर	(एक) आउटसोर्स द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
8.	स्वंय सेवक	(एक) आउटसोर्स द्वारा। (दो) मंदिर समिति में कार्यरत स्वयं सेवकों को वरीयता दी जायेगी।
	चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग–सफाई कर्मी	
1.	हेड स्वच्छता नायक	आउटसोर्स।
2.	स्वच्छता नायक	आउटसोर्स।

आरक्षण 6. अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय राज्य सरकार/मंदिर समिति द्वारा निर्गत नियम, सुसंगत शासनादेशों एवं मार्गदर्शक विधियों द्वारा निहित प्राविधानान्तर्गत आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

राष्ट्रीयता 7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो।

शैक्षणिक अर्हता/अर्हताएं/योग्यताए 8. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

प्रशासनिक सेवा संवर्ग		
क्र.सं.	पदनाम	अर्हताएं/योग्यताएं
1.	मुख्य कार्याधिकारी	1. अधिनियम, की धारा 14 के अधीन नियुक्त हो। 2. वह हिन्दू धर्म का अनुयायी हो तथा मन्दिर के परम्परा/प्रभावी रीतियों के अनुसार प्रचलित पूजा पद्धति को मानने वाला हो एवं स्वीकार करता हो। 3. वह स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार कमेटी का अध्यक्ष या सदस्य न हो। 4. वह स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार या उसकी पत्नी कमेटी के किसी कार्य कलाप से सम्बद्ध ना हो। 5. वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो।

		6. वह सरकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण से बर्खास्त ना किया गया हो। 7. वह विकृत मानसिक प्रवृत्ति या ऐसी बीमारी से ग्रसित ना हो। 8. वह किसी अपराधिक/मानवीय अपराध में सम्मिलित ना हो। 9. वह प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारी से न्यून स्तर का अधिकारी न हो। 10. शासकीय/प्रशासकीय कार्यो का अनुभव हो। 11. उक्त पद पर नियुक्ति/तैनाती शासन स्तर से की जायेगी तथा पद की सेवा–शर्ते व नियम वह लागू होगे, जैसा सरकार/शासन निर्धारित करे।
2.	विशेष कार्याधिकारी	1. हिन्दू धर्म का अनुयायी हो तथा मन्दिर के परम्परा/प्रभावी रीतियों के अनुसार प्रचलित पूजा पद्धति को मानने वाला हो एवं स्वीकार करता हो। 2. वह स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार या उसकी पत्नी कमेटी के किसी कार्य कलाप से सम्बद्ध ना हो। 3. वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो। 4. वह सरकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण से बर्खास्त ना किया गया हो। 5. वह विकृत मानसिक प्रवृत्ति या ऐसी बीमारी से ग्रसित ना हो। 6. वह किसी अपराधिक/मानवीय अपराध में सम्मिलित ना हो। 7. वह राज्याधीन सेवा के प्रथम श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी अथवा द्वितीय श्रेणी का राजपत्रित अधिकारी होने की दशा में इस पद पर कम से कम 07 वर्ष की सेवा पूर्ण की हो, विशेष कार्याधिकारी हो सकता है। 8. उक्त पद पर नियुक्ति/तैनाती शासन स्तर से की जायेगी तथा पद की सेवा–शर्ते व नियम वह लागू होगे, जैसा सरकार/शासन निर्धारित करे।

<u>विधि एवं सम्पति सेवा उप संवर्ग</u>

1.	विधि अधिकारी	(1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उपाधि। (2) किसी जनपदीय न्यायालय में विधि व्यवसाय/विधि अधिकारी से सम्बन्धित क्षेत्र में 05 वर्ष का अनुभव।
2.	सम्पति निरीक्षक	(1). भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि,

		(2). भू-सर्वेक्षण एवं राजस्व कार्य में प्रशिक्षण/पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त/ तद्सम्बन्धी कार्य में 10 वर्ष का अनुभव।
	– अधीनस्थ सेवा संवर्ग	
1.	उप मुख्य कार्याधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि,
2.	कार्याधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि,
3	मन्दिर अधिकारी	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि,
4	प्रचार अधिकारी	(1) विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता/जनसम्पर्क/मास कम्यूनिकेशन अथवा समकक्ष विषय में स्नातक की उपाधि। (2) हिन्दी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान। (3) कार्य प्रबन्धन का अनुभव। (4) जनसंचार की आधुनिक तकनीकों का ज्ञान। (5) संचार कौशल का ज्ञान। (6) प्रेस विज्ञप्तियों की लेखन करने एवं मीडिया और पब्लिक के साथ संवाद करने की क्षमता। (7) विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे-प्रिंटएवं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग तकनीकों की जानकारी। अधिमानी- (1) तीन वर्ष का किसी राष्ट्रीय मीडिया समूह/प्रतिष्ठित संस्थान/संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।
	लिपिक सेवा संवर्ग-(लिपिक उप सेवा संवर्ग-1)	
1.	कनिष्ठ सहायक /कम्प्यूटर आपरेटर/ डाटा एण्ट्री आपरेटर	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की-डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति अनिवार्य।

	लेखा उप सेवा संवर्ग	
1.	वित्त अधिकारी	1. हिन्दू धर्म का अनुयायी हो तथा मन्दिर के प्रभावी रीतियों के अनुसार प्रचलित पूजा पद्धति को मानने वाले एवं स्वीकार करता हो। 2. वह स्वयं या उसका कोई रिश्तेदार या उसकी पत्नी कमेटी के किसी कार्य कलाप से सम्बद्ध ना हो। 3. वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो। 4. वह सरकारी अथवा स्थानीय प्राधिकरण से बर्खास्त ना किया गया हो। 5. वह विकृत मानसिक प्रवृत्ति या ऐसी बीमारी से ग्रसित ना हो। 6. वह किसी अपराधिक/मानवीय अपराध में सम्मिलित ना हो। 7. उक्त पद पर नियुक्ति/तैनाती शासन स्तर से की जायेगी तथा पद की सेवा–शर्ते व नियम वह लागू होंगे, जैसा सरकार/शासन निर्धारित करे।
2.	सहायक लेखाकार	अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा बी0बी0ए0 (Bachelor In Business Administration) अथवा पोस्ट ग्रेजुएट इन एकाउण्टेंसी तथा हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति होनी चाहिए।
	मंदिर/यात्रा व्यवस्था उप सेवा संवर्ग–3	
1.	व्यवस्थापक	(1) भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक हो, अथवा होटल मैनेजमेन्ट में स्नातक उपाधि नेशनल कॉउन्सिल फॉर होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी या उससे सम्बद्ध संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई हो,

		(2) सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलायी जाने वाली किसी कैन्टीन में पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। सरकारी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल/रेस्टोरेन्ट तथा कैन्टीन सम्मिलित माने जायेंगे, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अन्तर्गत किसी स्वायत्तशासी संस्था/परिषद/निकाय के अधीन संचालित हो, जबकि निजी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल अथवा रेस्टोरेन्ट सम्मिलित माने जायेंगे, जिन्हें होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेशन कमेटी (H.R.A.C.C) द्वारा स्टार रेटिंग्स प्रदान की गई हो।
2.	प्रबन्धक	1) भारत में मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी में तीन वर्षीय डिप्लोमा धारक हो, अथवा होटल मैनेजमेन्ट में स्नातक उपाधि नेशनल कॉउन्सिल फॉर होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी या उससे सम्बद्ध संस्थानों अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई हो, (2) सरकारी या निजी अधिष्ठान द्वारा चलायी जाने वाली किसी कैन्टीन में पर्यवेक्षक के रूप में कम से कम तीन वर्ष कार्य करने का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा। सरकारी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल/रेस्टोरेन्ट तथा कैन्टीन सम्मिलित माने जायेंगे, जो भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या ऐसी सरकार के अन्तर्गत किसी स्वायत्तशासी संस्था/परिषद/निकाय के अधीन संचालित हो, जबकि निजी अधिष्ठान के अन्तर्गत ऐसे होटल अथवा रेस्टोरेन्ट सम्मिलित माने जायेंगे, जिन्हें होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट एप्रूवल एण्ड क्लासिफिकेशन कमेटी (H.R.A.C.C) द्वारा स्टार रेटिंग्स प्रदान की गई हो।

3.	मीडिया प्रभारी	1. विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता/मास कम्युनिकेशन/विज्ञापन एवं समकक्ष विषय में स्नातक की उपाधि। 2. हिन्दी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान एवं किसी 02 प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान। 3. अच्छी संचार कौशल, पत्रकारिता लेखन, प्रेस विज्ञप्तियां तैयार करने की क्षमता। 4. मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे–प्रिंटर इलेक्टॉनिक और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया I प्लेटफॉर्म्स का ज्ञान और डिजिटल प्रचार तकनीकों की समझ। अधिमानी– तीन वर्ष किसी राष्ट्रीय मीडिया समूह में कार्य करने का अनुभव धारित करने वाले अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा।
4.	फीचर लेखक	1. विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. हिन्दी, अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान एवं किसी 02 प्रान्तीय भाषाओं का ज्ञान। 3. किसी प्रसिद्ध समाचार पत्र में सम्पादकीय/स्तम्भ लेखन/लेखन कौशल से सम्बन्धित 05 वर्षों का अनुभव।
5.	इन्टरनेट कार्डिनेटर	(1) सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीण की हो, (2) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से **A** लेवल उपाधि, (3) कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन/इन्टरनेट प्रयोग में में एक वर्ष का अनुभव।

		(4) इन्टरनेट सम्बन्धी क्षेत्र में अन्य कोई अधिमानी अर्हताएं/डिप्लोमा।
6.	मंदिर सुपरवाईजर	1. विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। 2. मंदिर की परम्पराओं, धार्मिक रीति, धार्मिक महत्व/आराधना का ज्ञान। 3. मंदिर के पुजारियों और अन्य स्थानीय समुदाय के साथ संवाद स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। 4. दैनिक सुविधाओं का प्रबन्धन, संगठन की व्यवस्थाए का कौशल/ज्ञान। अधिमानी–सुपरवाईजर का 02 वर्ष का अनुभव।
7.	वर्क सुपरवाईजर	(1) विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि। (2) श्री बदरीनाथ अथवा श्री केदारनाथ मंदिर में कपाट खुलने से पूर्व होने वाले बर्फ के कटान एवं सुचारू यात्रा हेतु किये जाने वाले कार्यो एवं संबंधित क्षेत्र में 05 वर्ष का कार्य अनुभव। (3) दैनिक सुविधाओं का प्रबन्धन, संगठन की व्यवस्थाए का कौशल/ज्ञान। अधिमानी–सुपरवाईजर का 02 वर्ष का अनुभव।
8.	भोग मोहर्रिर	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति अनिवार्य।
	वैयक्तिक सहायक/विशेष कार्याधिकारी (ज.स.)/जनसम्पर्क अधिकारी उप सेवा संवर्ग–4	
1.	वैयक्तिक सहायक	सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की

		हो, के साथ–साथ हिन्दी आशुलेखन में न्यूनतम गति 80 शब्द प्रति मिनट तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में 4000 की–डिप्रेशन प्रति घंटे की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
	अधीनस्थ अभियन्त्रण एवं प्राविधिक उप सेवा संवर्ग	
1.	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से सिविल अभियंन्त्रण में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि।
2.	अवर अभियन्ता	कनिष्ठ/अवर अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/पालीटेक्निक द्वारा प्रदत्त सिविल अभियन्त्रण में तीन वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक होगा।
3.	फोटोग्राफर	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, (2) छायाचित्र और चलचित्र कैमरा परिचालन में 05 वर्ष का अनुभव और भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से छायाचित्र या चलचित्र फोटोग्राफी (मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी) में डिप्लोमा या उपाधि, (3) छायाचित्र या चलचित्र फोटोग्राफी (मूवी मोशन पिक्चर फोटोग्राफी) में एक वर्ष का अनुभव।
4.	चालक	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस प्राप्त हो। (3) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो।

5.	परिचालक	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) पर्वतीय क्षेत्र एवं मैदानी क्षेत्र में वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाईसेंस हो। (3) वाहन यांत्रिकी का ज्ञान हो।
6.	वायरमैन	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आई0टी0आई0 उत्तीर्ण।
7.	प्लम्बर	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से प्लम्बर ट्रेड में आई0टी0आई0 उत्तीर्ण।
	श्री उत्तराखण्ड भैषज्य कल्पक (फार्मेसिस्ट) प्रशिक्षण विद्यालय एवं फार्मेसी विद्यापीठ	
1.	प्रधानाचार्य	(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद (बी0ए0एम0एस0) की उपाधि। (2) आयुर्वेद के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। (3) दस वर्ष का अध्यापन का अनुभव, जिसमें प्रोफेसर या विभागाध्यक्ष के रूप में कम से कम पांच वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो। (4) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी–शोध कार्य और मौलिक पत्रों पुस्तकों का प्रकाशन।

2.	प्रवक्ता	(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद (बी0ए0एम0एस0) में पांच वर्ष की उपाधि। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित विषय/आयुर्वेद के किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। (3) हिन्दी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान। अधिमानी– संबंधित विषय में शोध कार्य और मौलिक पत्रों और पुस्तकों का प्रकाशन।
3.	वैद्य	(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद (बी0ए0एम0एस0) में पांच वर्ष की उपाधि। (2) हिन्दी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान।
4.	डिमास्ट्रेटर	(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद (बी0ए0एम0एस0) में पांच वर्ष की उपाधि। (2) हिन्दी और संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान।
5.	फार्मेसिस्ट	1. फार्मेसिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से फार्मेसी का डिप्लोमा हो। 2. स्टेट फार्मेसी कॉउन्सिल, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।
6.	प्रयोशाला सहायक	प्रयोगशाला सहायक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्विद्यालय से संबंधित आवश्यक विषय में स्नातकं की उपाधि प्राप्त की हो।
7.	वार्ड बॉय	(1)उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्ताराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, (2) वार्ड बॉय का कार्य करने का 02 वर्ष का अनुभव।

	सीजनल लिपिक/लिखवार (यात्राकालीन)	
1.	सीजनल लिपिक/लिखवार (यात्राकालीन)	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, (2) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूतनम 2400 की–डिप्रेशन प्रति घण्टा की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
	सीजनल/यात्राकालीन–चतुर्थ श्रेणी/चपरासी/केयरटेकर/माली/स्वयं सेवक/स्वच्छक/सेवाकार	
1.	चपरासी/केयरटेकर/माली/स्वयं सेवक/स्वच्छक/सेवाकार	1. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. संबंधित कार्य क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।
	चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग– दफेदार/चपरासी/सहायक/सुरक्षा गार्ड/गार्ड (चौकीदार)/माली/पाचक/चौकीदार/खजाना गार्ड/केयरटेकर/फुलारा / फार्मेसी सहायक (श्रमिक)/दफ्तरी	
2.	सुरक्षा गार्ड/खजाना गार्ड/ गार्ड (चौकीदार)	1. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। 2. भारतीय सेना के तीनो स्कंधों सहित पैरा मिलिट्री फोर्स से सेवा निवृत्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
3.	माली	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) संबंधित कार्य क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।

4.	दफेदार/चपरासी/सहायक/पाचक/चौकीदार/केयरटेकर/सहायक (श्रमिक)/दफ्तरी	फुलारा/फार्मेसी	(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) संबंधित कार्य क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।
	<u>चतुर्थ श्रेणी सेवा संवर्ग–सफाई कर्मी</u>		
1.	स्वच्छता नायक		(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (2) संबंधित कार्य क्षेत्र में 02 वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी– यह नियम उन कार्मिकों पर लागू नही होगें, जो इस नियम/नियमावली के प्रभाव में आने से पहले समिति में कार्यरत/सेवारत है।

अधिमानी अर्हता

9\. ऐसे अभ्यर्थी की, जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, को अन्य बातें समान होने पर सेवा में भर्ती के सम्बन्ध में अधिमान दिया जायेगा।

अनिवार्य अर्हता

10\.
1. अधिनियम, की संगत धारा/नियमों/निहित प्रावधान के अनुसार होगी।
2. वह हिन्दू धर्म का अनुयायी हो तथा मन्दिर के प्रभावी रीतियों के अनुसार प्रचलित पूजा पद्धति को मानता हो एवं स्वीकार करता हो।
3. वह उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी हो।
4. राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से पदच्यूत हुआ व्यक्ति अर्नह/अयोग्य होगा।
5. नैतिक पतन के अपराध के लिये कारावास भुगत चुका व्यक्ति अर्नह/अयोग्य होगा।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु जिस कलेण्डर वर्ष में रिक्तियाँ आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा सीधी भर्ती के लिये विज्ञापित की जाती है, उस वर्ष की पहली जुलाई को समय–समय पर यथाविहित न्यूनतम आयु का हो जाना चाहिए और अधिकतम आयु का नहीं होना चाहिए:

परन्तु यह कि अधिनियम, की संगत धारा/नियमों/निहित प्रावधानानुसार समय–समय पर मंदिर समिति/राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जायेगी, जैसा कि विहित किया जाए।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा की नौकरी के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति अधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान कर लेगा।

टिप्पणीः–(1) संघ सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

13. ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉ जीवित हो या ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक पति जीवित हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र न होंगे:

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं, तो वह किसी व्यवित्त को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

शारीरिक योग्यता

14. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्त्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त

पुस्तिका खण्ड–II भाग–III के अध्याय–III में समाविष्ट मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे:

परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (अधिनियम संख्यांक–49 वर्ष 2016 भारत सरकार) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा–34 के अधीन चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नही किया जायेगा:

परन्तु यह और कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

भाग–5 भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

15 नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या अधिनियम, की संगत धारा/नियम/निहित प्रावधान के अधीन रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और सरकार के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की सूचना सरकार को दी जायेगी।

भर्ती की प्रक्रिया

16 अधिनियम, की संगत धारा/नियम/निहित प्रावधान के अनुसार सीधी भर्ती के लिए निम्नवत् प्रकिया लागू होगी :–

(क) सीधी भर्ती के समूह–'ख' एवं 'ग' से संबंधित पदों पर संविलियन के माध्यम से भर्ती की प्रकिया–

(1) नियुक्त प्राधिकारी विभिन्न पदों पर भर्ती/नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे।

(2) प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) मंदिर समिति विभिन्न केन्द्रीय/राज्याधीन विभागों के राजकीय कार्यालयों एवं निगमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं/निकायों में संबंधित पदों हेतु अर्ह/योग्य/पात्र कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर सेवा/कार्य हेतु आवेदन/विज्ञप्ति प्रकाशित करेगी तथा तत्कम में नियुक्त प्राधिकारी/इस निमित्त गठित चयन समिति प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा/परिनिरीक्षण करेगी और ऐसे अभ्यर्थियों को, जो इस नियमावली के अधीन भर्ती/नियुक्ति के योग्य हों, को यथा नियम/प्रकिया के अनुसार प्रथमतः प्रतिनियुक्ति पर तैनाती/नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

(4) विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों की 01. वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त समिति इच्छुक/योग्य कार्मिकों की मंदिर समिति की सेवा में संविलयन किये जाने हेतु बनाये गये संविलियन नियमावली में निर्धारित/विहित/प्रकिया/सेवा-शर्तो के अनुसार/कम में संबंधित पद/सेवा पर कार्मिक का संविलयन किया जायेगा।

(ख) सीजनल लिपिक/सीजनल चतुर्थ श्रेणी के समस्त पद एवं समूह-घ से संबंधित समस्त सामान्य पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती की प्रकिया-

(1) नियुक्त प्राधिकारी विभिन्न पदों पर भर्ती/नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा। आवेदन पत्र नियत प्रपत्र में दिये जायेंगे।

(2) प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(3) समूह-घ के पदों पर सीधी भर्ती से चयन निम्नांकित सिद्धान्तों के आधार पर आधारित होगी-सीधी भर्ती से चयन अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त शैक्षिक योग्यता, अनुभव इत्यादि के लिए निर्धारित गुणवत्ता अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रमानुसार किया जायेगा, जो निम्नानुसार होगा-

गुणात्मक अंक-

क्र.सं	परीक्षा का नाम	गुणवत्ता अंक	अधिकतम अंक
1.	पूर्व मध्यमा/हाईस्कूल	$\frac{\text{अंको का प्रतिशत x 1}}{10}$	10
2.	उत्तर मध्यमा/इण्टरमीडिएट	$\frac{\text{अंको का प्रतिशत x 2}}{10}$	20
3.	अनुभव	02 अंक प्रतिवर्ष	20
	योग-		50

(4) समूह-घ के पदों पर नियुक्ति अधिनियम, की संगत धारा/निहित प्राविधान/नियम एवं समय-समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी:-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी- अध्यक्ष
(दो) मुख्य कार्याधिकारी- सदस्य
(तीन) विशेष कार्याधिकारी/वित्त अधिकारी- सदस्य

टिप्पणीः– भर्ती/नियुक्ति प्रकिया/नियम अधिनियम, की संगत धारा/नियम/निहित प्रावधान के अनुसार श्री बदरीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति से अनुमोदनोपरान्त नियुक्त प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति द्वारा समय–समय पर विहित किये जायेंगे।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया 17. (1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अधिनियम, की संगत धारा/निहित प्राविधान/सरकार द्वारा समय–समय पर विहित प्रक्रिया के अनुसार गठित निम्नलिखित रूप से गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी गठन निम्नवत् किया जायेगाः–

(एक)नियुक्ति प्राधिकारी– अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संबंधित/चिन्हित श्रेणी का कोई राजपत्रित अधिकारी का नाम निर्दिष्ट किया जायेगा– सदस्य

(तीन) मुख्य कार्याधिकारी– सदस्य

(चार) विशेष कार्याधिकारी/वित्त अधिकारी– सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ज्येष्ठता के क्रम में पात्र अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायें, चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(3) चयन समिति, उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर, अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कर सकेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की एक सूची तत्समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी;

परन्तु यह कि उपनियम (2) के अधीन या इस नियम के अधीन पात्रता सूची तैयार करते समय, जहां चयन भिन्न–भिन्न पोषक संवर्गों से किया जाना हो वहाँ;

(क) भिन्न–भिन्न वेतनमानों के संबंध में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

(ख) समान वेतनमानों के संबंध में पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम उनके अपने–अपने संवर्गों में मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे।

संयुक्त चयन सूची 18. यदि किसी वर्ष नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती है तो संगत सूचियों से नाम लेकर एक संयुक्त चयन सूची इस प्रकार तैयार की जायेगी जिससे विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, ज्येष्ठता

नियुक्ति 19. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नामों को उसी कम में, जिसमें उनके नाम यथास्थिति

नियम 15, 16, 17 एवं 18 के अधीन तैयार की गयी सूची में आये हो, नियुक्त करेगा।

(2) जहाँ भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहाँ नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय, और नियम–18 के अनुसार एक संयुक्त चयन सूची तैयार न कर ली जाय।

(3) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें चयनित व्यक्तियों के नामों का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के क्रम में किया जायेगा। जैसा कि यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाय, या जैसी कि उस संवर्ग में हो, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

यदि नियुक्तियाँ सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम–18 के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार चक्रीय क्रम में रखे जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूची में नियुक्ति कर सकेगा। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकेगा। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जाएगी और जहां पद सरकार के क्षेत्र के अन्तर्गत आता हो, वहां राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रवृत्त उपबन्ध लागू होंगे।

परिवीक्षा 20. (1) सेवा में सीधी भर्ती के माध्यम से किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर एवं भर्ती के स्रोतों में से एक यदि सीधी भर्ती है, तो पदोन्नति द्वारा किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान या किसी भी समय या उसके अन्त अथवा परिवीक्षा की बढ़ायी गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या उसका कार्य या आचरण सन्तोषजनक नहीं रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया

जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थाई रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण 21 परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि–

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित है ;

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

ज्येष्ठता 22. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर किसी कार्मिक की ज्येष्ठता का निर्धारण अधिनियम की संगत धारा/नियम/निहित प्रावधान के अनुसार/उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

भाग 7–वेतन आदि

वेतनमान 23. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा, जो सरकार/ अधिनियम, की संगत धारा/नियम/निहित प्राविधान के अनुसार समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'क' में दिये गये हैं।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 24. (1) मूल नियम में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नही है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने, विभागीय परीक्षा उर्त्तीण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी।

(2) परीवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढाई जाती है, तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे, ऐसी बढाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नही गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति को वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यो से संबंधित सामान्य सेवारत सेवको पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8–अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन — 25. **किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुतियों से भिन्न किन्हीं संस्तुतियों पर चाहे लिखित या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा।** किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने को कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों को विनियमन — 26. ऐसे विषयों के संबंध में, जो इस नियम या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नही आते हों, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति अधिनियम की संगत धारा/नियम/निहित प्राविधान के अनुसार/राज्य के कार्यो से संबंधित सेवारत कार्मिको/सेवकों पर साधारणत लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होगें।

सेवा की शर्तो में शिथिलीकरण — 27. यदि अधिनियम, की संगत धारा/नियम/निहित प्रावधान के अनुसार यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्ते विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामलें में अनुचित कठिनाई हो सकती है, तो वे इस मामलें में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओ से सरकार के अनुमोदन से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देंगी जो वह मामले के समबन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिये उचित समझें।

व्यावृत्ति — 28. इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस संबंध मे अधिनियम, की संगत धारा/नियमों/निहित प्रावधान के द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

(नियम 4(2) एवं 23(2) देखें)

क्र. सं.	पद नाम	पदों की संख्या		सातवें वेतनमान के अनुसार/पे मैट्रिक्स/लेवल
		स्थाई	अस्थाई	
1	मुख्य कार्याधिकारी	01	—	67700—208700 लेवल—11
2	विशेष कार्याधिकारी	01	—	67700—208700 लेवल—11
3	वित्त अधिकारी	—	01	56100—177500 लेवल—10
4	उप मुख्य कार्याधिकारी	01	—	56100—177500 लेवल—10
5	कार्याधिकारी	01	—	56100—177500 लेवल—10
6	लेखाधिकारी	01	—	47600—151100 लेवल—8
7	अधिशासी अभियन्ता	01	—	67700—208700 लेवल—11
8	सहायक अभियन्ता	01	—	56100—177500 लेवल—10
9	अवर अभियन्ता	04	—	44900—142400 लेवल—7
10	प्रचार अधिकारी	01	—	56100—177500 लेवल—10
11	मन्दिर अधिकारी	01	—	56100—177500 लेवल—10
12	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	03	—	56100—177500 लेवल—10
13	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	04	—	47600—151100 लेवल—8
14	प्रशासनिक अधिकारी	04	—	44900—142400 लेवल—7
15	प्रधान सहायक	09	—	35400—112400 लेवल—6
16	वरिष्ठ सहायक	14	—	29200—92300 लेवल—5
17	कनिष्ठ सहायक	15	—	21700—69100 लेवल—3
18	लेखाकार	02	—	35400—112400 लेवल—6
19	सहायक लेखाकार	02	—	29200—92300 लेवल—5
20	कोषाध्यक्ष/खजांची	02	—	35400—112400 लेवल—6
21	व्यवस्थापक	02	—	35400—112400 लेवल—6

22	प्रबन्धक	05	—	21700—69100 लेवल—3
23	मीडिया प्रभारी	01	—	29200—92300 लेवल—5
24	फीचर लेखिका	01	—	29200—92300 लेवल—5
25	इन्टरनेट कोर्डिनेटर	01	—	29200—92300 लेवल—5
26	विशेष कार्याधिकारी (जनसम्पर्क)/जनसम्पर्क अधिकारी	01	—	56100—177500 लेवल—10
27	वैयक्तिक सहायक	01	—	44900—142400 लेवल—7
28	विधि अधिकारी	01	—	56100—177500 लेवल—10
29	सम्पत्ति निरीक्षक	02	—	35400—112400 लेवल—06
30	फोटोग्राफर	01	—	29200—92300 लेवल—5
31	प्रयोगशाला सहायक	01	—	21700—69100 लेवल—3
32	चालक (ड्राइवर/जीप एवं ट्रक ड्राइवर)	07	—	19900—63200 लेवल—2
33	परिचालक	03	—	18000—56900 लेवल—1
34	वायरमैन	03	—	18000—56900 लेवल—1
35	प्लम्बर	01	—	18000—56900 लेवल—1
36	वर्क सुपरवाइजर	01	—	18000—56900 लेवल—1
37	दफेदार	02	—	18000—56900 लेवल—1
38	चपरासी	31	—	18000—56900 लेवल—1
39	माली	05	—	18000—56900 लेवल—1
40	चौकीदार	13	—	18000—56900 लेवल—1
41	गार्ड (चौकीदार)	02	—	18000—56900 लेवल—1
42	खजाना गार्ड	03	—	18000—56900 लेवल—1
43	केयर टेकर/चपरासी	06	—	18000—56900 लेवल—1
44	फुलारा	02	—	18000—56900 लेवल—1
45	फार्मेसी सहायक (श्रमिक)	03	—	18000—56900 लेवल—1

46	दफ्तरी	01	—	18000—56900 लेवल—1
47	वार्ड ब्याय	01	—	18000—56900 लेवल—1
48	पाचक	04	—	18000—56900 लेवल—1
49	हैड स्वच्छक	01	—	18000—56900 लेवल—1
50	स्वच्छता नायक	22	—	18000—56900 लेवल—1
51	जमादार	01	—	18000—56900 लेवल—1
52	स्वच्छक	10	—	18000—56900 लेवल—1
53	प्रधानाचार्य	01	—	56100—177500 लेवल—10
54	प्रवक्ता	03	—	47600—151100 लेवल—8
55	वैद्य	01	—	35400—112400 लेवल—6
56	डिमास्ट्रेटर	03	—	44900—142400 लेवल—7
57	फार्मेसिस्ट	01	—	35400—112400 लेवल—6
58	वार्ड बॉय	01	—	18000—56900 लेवल—1
59	सीजनल लिपिक	—	06	21700—69100 लेवल—3
60	परिचालक (अस्थाई) पूर्ण कालिक	—	01	18000—56900 लेवल—1
61	परिचालक (रावल जी) यात्राकालीन	—	01	18000—56900 लेवल—1
62	लिखवार (यात्राकालीन)	—	01	21700—69100 लेवल—3
63	यात्राकालीन चपरासी/केयर टेकर/माली/स्वयं सेवक	—	25	18000—56900 लेवल—1
64	सीजनल सेवाकार	—	02	18000—56900 लेवल—1
65	सीजनल स्वच्छक	—	14	18000—56900 लेवल—1
कुल पद—		217	51	268

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव।

In pursuance of the provision of Clause (3) of article 348 of the "Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.179931/2024 Dated- February 08, 2024 for general information.

NOTIFICATION

February 08, 2024

No.179931/2024--In exercise of the power conferred by section 26(2)(d) of the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Act, 1939 (as applicable in the state of Uttarakhand), and in supersession all the existing rules and orders, the Governor is pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions of the persons appointed in Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Service:-

The Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Service Rules, 2023

Part 1- General

Short title and commencement 1. (1) These rules may be called **the Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Service Rules, 2023**

(2) It shall come into force at once.

Status of Service 2. This is Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Service, which includes Group "A", "B", "C" and "D" posts.

Definitions 3. In these rules, unless the subject or context has anything contrary-

(a) "**Act**" means **the Uttar Pradesh Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Act, 1939** (as applicable to the state of Uttarakhand);

(b) **"Appointing Authority"** means the President of Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Committee;

(c) **"Citizen of India"** means a person who is a citizen of India under Part-II of 'the constitution of India' or is considered to be a citizen of India;

(d) **"Committee"** means Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Committee established/ constituted under section 5 of the Act.

(e) **"Constitution"** means 'the Constitution of India';

(f) **"Government"** means the Government of Uttarakhand;

(g) **"Governor"** means the Governor of Uttarakhand;

(h) **"Hindu religion"** means a sect of the Hindus professing Sanatan Dharm or having faith in it;

(i) **"Member of Service"** means a follower of Hindu religion on any post in the cadre of service and under these rules or rules in force before the commencement of these rules or under the orders of these rules, a person permanently appointed / appointed on substantive post;

(j) **"President"** means the President of Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Committee nominated by the Government of Uttarakhand under section 5(1)(g) of the Act;

(k) **"Service"** means Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Committee Service;

(l) **"Substantive Appointment"** means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with the rules and, if there are no rules, in accordance with the procedure prescribed for time being, by executive instructions issued by the Government or made according to the procedure prescribed for time being in accordance with the relevant section/prescribed provision of Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Act, 1939 (as amended from time to time); and

(m) **"Year of Recruitment"** means the period of twelve months commencing on the first day of July of the calendar year;

Part 2- Cadre

Cadre of Service 4. (1) The number of posts of personnel/ officers and each category in the service shall be as fixed according to the relevant section/prescribed provision of Act by Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Committee after the approval of State Government;

(2) The number of posts of personnel/ officers and each category in the service shall be, as shown in **Appendix 'A'**, unless changed by orders under sub rule (1);

Provided that;

(i) The appointing authority may keep a vacant post vacant or the Governor may according to the relevant section/prescribed provision of the Act, defer a post in such a way that no person shall be entitled to any compensation.

(ii) The President of the temple committee may according to the relevant section/prescribed provision of the Act, create such additional permanent or temporary posts after the approval of the state government as he deems fit;

Part 3- Recruitment

Source of Recruitment 5. Recruitment in the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

	(A) Administrative Service Cadre	
		Source of Recruitment
1.	**Chief Executive Officer**	Shall be appointed by the State Government as per the procedure prescribed for time being time under section 14 of the Act.
2.	**Officer on Special Duty**	Shall be appointed by the State Government as per the procedure prescribed for time being.
	(B) Legal and Property Service Sub Cadre	
1.	Law Officer	By direct recruitment.
2.	Property Inspector	By direct recruitment.
	(C) Subordinate Service Cadre	
1.	**Deputy Chief Executive Officer**	By promotion on the basis of merit, suitability and experience after the approval of the President, Temple Committee, from among the substantively appointed such Chief Administrative Officers and posts of equivalent Grade pay who have completed at least 01 year of service in this capacity on the first day of the year of recruitment and have completed at least 25 years of service on the subordinate posts.
2.	**Executive Officer**	By promotion on the basis of merit, suitability and experience after the approval of the President, Temple Committee according to the provisions of Temple Act, from among the substantively appointed such Chief Administrative Officers and posts of equivalent Grade pay who have completed at least 01 years of service in this capacity on the first day of the year of recruitment and have completed at least 25 years of service on the subordinate posts.

3	**Temple Officer**	By promotion on the basis of merit, suitability and experience after the approval of the President, Temple Committee, from among the substantively appointed such Chief Administrative Officers and posts of equivalent Grade pay who have completed at least 01 year of service in this capacity on the first day of the year of recruitment and have completed at least 25 years of service on the subordinate posts.
4	**Publicity Officer**	By direct recruitment.

(D) Clerical Service Cadre – (Clerical Sub Service Cadre - 1)

1.	**Chief Administrative Officer**	By promotion on the basis of seniority from among the substantively appointed such Senior Administrative Officers who have completed at least 01 year of service in this capacity on the first day of the year of recruitment and have completed at least 25 years of service on the subordinate posts, subject to the rejection of unsuitable.
2.	**Senior Administrative Officer**	By promotion on the basis of seniority through Selection Committee, from among the substantively appointed such Administrative Officers who have completed at least 02 years of service in this capacity on the first day of the year of recruitment or have completed at least 20 years of service on the subordinate posts, subject to the rejection of unsuitable.
3	**Administrative Officer**	By promotion on the basis of seniority through Selection Committee, from among the substantively appointed such Head Assistants who have completed at least 03 years of service in this capacity on the first day of the year of recruitment or have completed at least 17 years of service on the subordinate posts, subject to the rejection of unsuitable.
4	**Head Assistant**	By promotion on the basis of seniority through Selection Committee, from among the substantively appointed such Senior Assistants who have completed at least 03 years of service in this capacity on the first day of the year of recruitment and have completed at least 10 years of service on the subordinate posts, subject to the rejection of unsuitable.
5	**Senior Assistant**	By promotion on the basis of seniority through Selection Committee, from among the substantively appointed such Junior Assistants who have completed at least 06 years of service in this capacity on the first day of the year of recruitment, subject to the rejection of unsuitable.

6	Junior Assistant/Computer Operator/Data Entry Operator	(1) 60 per cent Posts by direct recruitment/Merger. (2) From among such Group "D" personnel, 15 per cent those who are High School pass and 10 per cent those who are Intermediate pass, shall be filled by promotion. Provided that, if regular eligible candidates in Group "D" are not available, then, to that extent, in the lowest class of that Clerical category, vacant posts marked for promotion from Group "D" may be filled by direct recruitment/merger. (3) 5 per cent vacancies of the total posts of Clerical category by promotion from among the drivers who are High School pass or have passed a higher exam. Provided that, if regular eligible candidates among Drivers are not available, then, to that extent, in the lowest class of that Clerical category, vacant posts marked for promotion from among Drivers may be filled by promotion from Group "D" personnel by promotion. (4) 10 per cent from among such Seasonal Clerks who have completed minimum 05 years of service in this capacity and hold an educational qualification to pass at least High School or a recognized equivalent examination. Provided that, if regular eligible candidates among Seasonal Clerks are not available, then, to that extent, in the lowest class of that Clerical category, vacant posts marked for promotion from among Seasonal Clerks may be filled by direct recruitment or merger. **Note:-** For recruitment to lowest posts of Clerical category, Group "D" and Drivers working in the office who have completed 05 years of regular service, and such Seasonal Clerks working in the office who have completed 05 years of service, shall be eligible. For promotion from Group "D" and Drivers and Seasonal Clerks, for recruitment to the posts of Clerical category, selection on reserved vacancies shall be made on merit after a simple examination. There shall be only one question paper which shall consist of objective type questions connected with General Hindi, General Knowledge and General Studies. Written exam shall consist of maximum 40 marks and 10marks shall be for the annual confidential report of the eligible candidates.

		For work experience on posts of Class IV Seasonal Clerk and Driver, 02 marks for each year shall be allotted and Maximum 50 marks shall be allotted for work experience. Thus, the selection examination shall be of total 100 marks. Apart from the above, an exam of Hindi typing of 50 marks shall also be held. Candidates with speed less than 2400 key-depression per hour in typing test shall not be eligible. Thus, selection examination shall be of total 150 marks.

Accounts Service Cadre

1.	**Finance Officer**	Shall be appointed as per the procedure prescribed for time being by the State Government.
2.	**Accounts Officer**	By promotion on the basis of seniority from among substantively appointed such Accountants / Treasurers/ Khajanchies who having completed 12 years of service on the first day of the year of recruitment, have passed the departmental exam, if any, subject to the rejection of the unsuitable.
3.	**Accountant/ Treasurer/Khajanchi**	By promotion on the basis of seniority from among substantively appointed such Assistant Accountants /Treasurers/ Khajanchies who having completed 12 years of service on the first day of the year of recruitment, have passed the departmental exam, if any, subject to the rejection of the unsuitable.
4.	**Assistant Accountant**	By direct recruitment.

Temple/Yatra Sub Service Cadre – 3

1.	**Vyavasthapak**	By direct recruitment/Merger
2.	**Manager**	By direct recruitment/Merger
3.	**Media Incharge**	By direct recruitment/Merger
4.	**Feature Writer**	By direct recruitment/Merger
5.	**Internet Coordinator**	By direct recruitment/Merger
6.	**Temple Supervisor**	By direct recruitment/Merger
7.	**Work Supervisor**	By direct recruitment/Merger
8.	**Bhog Moharir**	By direct recruitment/Merger

Personal Assistant/Special Executive Officer (P.R.)/ Public Relation Sub Service Cadre - 4

1.	**Officer on Special Duty (P.R.)/ Public Relation Officer, Headquarters**	On the basis of merit, suitability and experience from among substantively appointed such Personal Assistants and equivalent posts who have completed 15 years of service on the first day of year of recruitment in this capacity according to the provision of the Temple Act after the approval of President, Temple Committee.
2.	**Personal Assistant**	By direct recruitment/Merger.

Subordinate Engineering and Technical Sub Service Cadre

1.	**Executive Engineer**	By promotion on the basis of seniority from among such Assistant Engineers who have completed 07 years of service on the first day of the year of recruitment in this capacity subject to the rejection of unsuitable.
2.	**Assistant Engineer**	(1) 50 per cent by direct recruitment/ Merger. (2) 50 per cent by promotion on the basis of seniority from among substantively appointed such Junior Engineers who have completed 07 years of service in this capacity on the first day of the year of recruitment subject to the rejection of unsuitable.
3.	**Junior Engineer**	By direct recruitment/Merger.
4.	**Photographer**	By direct recruitment/Merger.
5.	**Driver**	(1) 50 per cent posts by direct recruitment/Merger. (2) 50 per cent by promotion on the basis of seniority from among substantively appointed such Conductors who have completed 02 years of service in this capacity on the first day of the year of recruitment subject to the rejection the unsuitable.
6.	**Conductor**	(1) By direct recruitment/Merger. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
7.	**Wireman**	(1) By direct recruitment/Merger. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
8.	**Plumber**	(1) By direct recruitment/Merger. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.

Shri Uttarakhand Bhaishajya Kalpak (Pharmaceutical) Training School and Pharmacy Vidyapeeth

1.	**Principal**	By promotion.
2.	**Lecturer**	By direct recruitment/Merger.
3.	**Vaidya**	By direct recruitment/Merger.
4.	**Demonstrator**	By direct recruitment/Merger.

5.	**Pharmacist**	By direct recruitment/Merger.
6.	**Laboratory Assistant**	By direct recruitment/Merger
7.	**Ward Boy**	(1) By direct recruitment/Merger. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.

Seasonal Clerk/ Likhwar (yatrakaleen)

1.	**Seasonal Clerk/ Likhwar (yatrakaleen)**	(1) 75 per cent by direct recruitment. (2) 25 per cent shall be appointed on merit after an exam as per the provision prescribed in the note of rule 5(d) 6(4) from among such Group "D" seasonal/ yatrakaleen personnel who have completed 05 years of service in this capacity. Provided that, if in Group "D", eligible candidates holding the minimum educational qualification are not available, then, appointments on all the posts of Seasonal Clerk shall be made by direct recruitment.

Seasonal Clerk/Yatrakaleen – Class IV/ Chaprasi/Caretaker/Mali/Swayam Sewak/Swachchak/Sewakar

1.	**Chaprasi**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
2.	**Caretaker**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
3.	**Mali**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
4.	**Swayam Sewak**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
5.	**Swachchak**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
6.	**Sewakar**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.

Class IV Service Cadre – Dafedar/Chaprasi/Sahayak/Security Guard/Guard (Chowkidar)/Mali/Pachak/Chowkidar/Khajana Guard/ Caretaker / Fulara / Pharmacy Sahayak (Shramik)/Daftari

1.	**Dafedar**	By Out source.
2.	**Sahayak**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.

3.	**Security Guard**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
4.	**Mali**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
5.	**Pachak**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
6.	**Chowkidar**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
7.	**Seasonal Anuchar**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.
8.	**Swayam Sewak**	(1) Out source. (2) Volunteers working in the Temple Committee shall be given preference.

Class IV Service Cadre – Safai Karmi

1.	**Head Swachchata Nayak**	Out source.
2.	**Swachchata Nayak**	Out source.

Reservation 6. Reservation to the candidates shall be according to the orders under prescribed provisions, rules, relevant government orders and guiding laws issued by the state government/Temple Committee.

Nationality 7. For a post of direct recruitment in the service –

(a) Must be a citizen of India.

Educational Eligibility/Eligibilities / Qualifications 8. For appointment on various posts in the service, the candidate must have the following qualifications:-

Administrative Service		
Sl. No.	Name of the Post	Eligibilities/Qualifications
1.	**Chief Executive Officer**	(1) Must be appointed under section 14 of the Act. (2) He must be a follower of the Hindu religion, and must recognize and accept the prevalent method of Puja according to the traditions/ customs. (3) He himself or any of his relatives must not

		be either the President or a Member of the Committee. (4) He himself or any of his relatives or his wife must not be connected with any activity of the Committee. (5) He must be a domicile/permanent resident of the State of Uttarakhand. (6) He must not have been dismissed from a Government or Local Authority. (7) He must not be suffering from a mental disorder or any such disease. (8) He must not have been involved in any crime/humanitarian crime. (9) He must not be below the rank of a class I Gazetted Officer. (10) Must have the experience of administrative work. (11) Appointment on this post shall be made by the government and service - conditions and rules applicable shall be as determined by the government.
2..	**Officer on Special Duty**	(1) He must be a follower of Hindu religion, and must recognize and accept the prevalent method of Puja according to the traditions/ customs. (2) He himself or any of his relatives or his wife must not be connected with any activities of the Committee. (3) He must be a domicile/permanent resident of the State of Uttarakhand. (4) He must not have been dismissed from a Government or Local Authority. (5) He must not be suffering from a mental disorder or any such disease. (6) He must not have been involved in any crime/humanitarian crime. (7) He must be a Class I gazette officer of the State Service or in case being Class II gazette officer, must have completed at least 07 years of service on this post. (8) Appointment on this post shall be made by the government and service conditions and rules applicable shall be as determined by the government.

Legal and Property Service Sub Cadre

1.	**Law Officer**	(1) Bachelor of Laws degree from a University established by law in India. (2) 05 years experience in the field related to legal profession/Law Officer in a district court.
2.	**Property Inspector**	(1) Bachelor's degree from a University established by law in India. (2) Must have got training in land survey/ Patwari training/ 10 years' experience in related work.

Subordinate Service Cadre

1.	**Deputy Chief Executive Officer**	Bachelor's degree from a University established by law in India.
2.	**Executive Officer**	Bachelor's degree from a University established by law in India.
3.	**Temple Officer**	Bachelor's degree from a University established by law in India.
4.	**Publicity Officer**	(1) Bachelor's degree in Journalism/Public Relations/Mass Communication or an equivalent subject from a recognized University established by law. (2) Good knowledge of Hindi and English. (3) Experience of work management. (4) Knowledge of modern technology of mass communication. (5) Knowledge of communication skills. (6) Ability to write press releases and communicate with the media and public. (7) Knowledge of various media platforms like – print and electronic and digital media, social media and digital marketing technology. **Preferential –** Preference shall be given to candidates having three years of experience of working in a national media group/ reputed institute/related field.

Clerical Service Cadre – (Clerical Sub Service Cadre - 1)

1.	**Junior Assistant/Computer Operator/Data Entry Operator**	(1) Must have passed the Intermediate Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) Speed of 4000 key-depressions in Hindi in typing on computer is mandatory.

Account Sub Service Cadre

1.	**Finance Officer**	(1) He must be a follower of Hindu Dharm, and must recognize and accept the prevalent method of Puja according to the traditions/ customs. (2) He himself or any of his relatives or his wife must not be connected with any activities of the Committee. (3) He must be a domicile/permanent resident of the State of Uttarakhand. (4) He must not have been dismissed from a Government or Local Authority. (5) He must not be suffering from a mental disorder or any such disease. (6) He must not have been involved in any crime/humanitarian crime. (7) Appointment to this post shall be made by the government and service conditions and rules applicable shall be as determined by the government.
2.	**Assistant Accountant**	The candidate must have a Bachelor's degree in Commerce or B.B.A. (Bachelor in Business Administration) or Post Graduate in Accountancy from a recognized University and a speed of 4000 key-depressions in Hindi typing.

Temple/Yatra Management Sub Service Cadre - 3

1.	**Vyavasthapak**	(a) Must have a Bachelor's degree from a recognized University in India and hold a three year's diploma in Hotel Management and Catering Technology from an Institute recognized by Government. **or** Have the Bachelor in Hotel Management degree from National Council for Hotel Management and Catering Technology or institutions affiliated to it or a University recognized by the University Grant Commission. (b) Candidates having three years' experience of working as a supervisor in a canteen run by the government or private establishment shall be given preference. Such Hotels/Restaurants which are run under Government of India or any state government or any autonomous institute/council/body within such government

		shall be considered under government establishment, whereas such Hotel and Restaurants which have been allotted star ratings by the Hotel and Restaurants Approval and Classification Committee (H.R.A.C.C.), shall be considered within the private establishment.
2.	Manager	(1) Must have a Bachelor's degree from a recognized University in India and hold a three year's diploma in Hotel Management and Catering Technology from an Institute recognized by the Government. **or** Have the Bachelor in Hotel Management degree from the National Council for Hotel Management and Catering Technology or institutions affiliated to it or a University recognized by the University Grant Commission. (2) Candidates having three years' experience of working in a canteen run by the government or private establishment shall be given preference Such Hotels/Restaurants and Canteen which are run under Government of India or any state government or any autonomous institute/council/body within such government shall be considered under government establishment, whereas, such Hotel or Restaurants which have been allotted star ratings by the Hotel and Restaurants Approval and Classification Committee (H.R.A.C.C.), shall be considered within the private establishment.
3.	**Media Incharge**	(1) Bachelor's degree in Journalism/Mass Communication/Advertising and an equivalent subject from a recognized University established by law. (2) Good knowledge of Hindi and English and knowledge of any 02 provincial languages. (3) Good communication skills, journalistic writing, ability to prepare press releases. (4) Knowledge of media platforms like print, electronic and digital media, social media platforms and understanding of digital publicity techniques. **Preferential** – Candidates having three years' experience of working in a national media group shall be given preference.
4.	**Feature Writer**	(1) Bachelor's degree from a recognized University established by law. (2) Good knowledge of Hindi and English and knowledge of any 02 provincial languages.

		(3) 05 years' experience of writing editorials / column in a famous news paper/ work related to writing skills.
5.	**Internet Coordinator**	(1) For direct recruitment, it is mandatory that the candidate must have passed the Intermediate Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other examination declared its equivalent by the government. (2) A Diploma in Computer Science/Computer Application from a University established by law in India or an institute recognized by the government or 'A' level degree from Department of Electronics. (3) One year's experience in computer science/computer application/ internet use. (4) Any other preferential eligibilities/diploma in the field related to internet.
6.	**Temple Supervisor**	(1) Bachelor's degree from a recognized University established by law. (2) Knowledge of temple traditions, religious rituals, religious importance/worship. (3) Must have the ability to communicate with temple priests and other local communities. (4) Must have the skill and knowledge to manage everyday facilities, organizational system. **Preferential –** Two years' experience of as supervisor.
7.	**Work Supervisor**	(1) Bachelor's degree from a recognized University established by law. (2) 05 years' work experience of ice cutting and the works carried out for smooth conduct of yatra and related works, carried out before the opening of the portals of Shri Badrinath and Shri Kedarnath. (3) Management of daily facility skill/ knowledge arrangement of organization. **Preferential –** Two years' experience as supervisor.
8.	**Bhog Moharir**	(1) Must have passed the Intermediate Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other examination declared its' equivalent by the government. (2) Speed of 4000 key – depressions in Hindi typing on computer is mandatory.

Personal Assistant/Officer on Special Duty (P.R.)/Public Relation Officer Sub Service Cadre - 4

1.	**Personal Assistant**	For direct recruitment it is mandatory that the candidate must have passed the Intermediate Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government., and a speed of minimum 80 words per minute in Hindi short hand writing and 4000 key- depressions per hour in Hindi typing on computer shall be mandatory.

Subordinate Engineering and Technical Sub Service Cadre

1.	**Assistant Engineer**	For direct recruitment, the candidate must have the Bachelor's degree in Civil Engineering from a recognized University/Institute established by law in India or a degree recognized its' equivalent by the government.
2.	**Junior Engineer**	For direct recruitment to the posts of Junior Engineer, the candidate must have a three years' diploma in Civil Engineering from a recognized Institute/Polytechnic established by law in India.
3.	**Photographer**	(1) Must have passed the Intermediate Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) 05 years' experience in photography and movie/ motion picture camera operation and a diploma or degree in photography or movie/ motion picture photography from a University established by law in India or an Institute recognized by the government. (3) One year's experience in photography or movie/ motion picture photography.
4.	**Driver**	(1) Must have passed the Intermediate Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) Must have a valid driving license to drive in hilly and plain areas. (3) Must have knowledge of vehicle mechanics.
5.	**Conductor**	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi

		Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) Must have a valid driving license to drive in hilly and plain areas. (3) Must have knowledge of vehicle mechanics.
6.	**Wireman**	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) Must have passed I.T.I. in Electrician trade from an institute recognized by the government.
7.	**Plumber**	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) Must have passed I.T.I. in Plumbing trade from an institute recognized by the government.

Shri Uttarakhand Bhaishajya Kalpak (Pharmacy) Training School and Pharmacy Vidyapeeth

1.	**Principal**	(1) Degree of Ayurveda (B.A.M.S.) from a University established by law. (2) Post Graduate Degree in any discipline of Ayurveda. (3) Teaching experience of ten years including administrative experience of minimum five years as Professor or Head of the Department. (4) Working knowledge of Hindi, English and Sanskrit. **Preferential** – Research work and publication of original papers/books.
2.	**Lecturer**	(1) Five years' Degree of Ayurveda (B.A.M.S.) from a University established by law. (2) Post Graduate Degree in related subject/ any discipline of Ayurveda from a recognized institute. (3) Working knowledge of Hindi and Sanskrit. **Preferential** – Research work in related subject and publication of original papers and books.
3.	**Vaidya**	(1) Five years' Degree of Ayurveda (B.A.M.S.) from a University established by law. (2) Working knowledge of Hindi and Sanskrit.

4.	**Demonstrator**	(1) Five years' Degree of Ayurveda (B.A.M.S.) from a University established by law. (2) Working knowledge of Hindi and Sanskrit
5.	**Pharmacist**	(1) For direct recruitment to the post of Pharmacist, candidate must have a Diploma in Pharmacy from a recognized Institute. (2) Must be registered in the State Pharmacy Council, Uttarakhand.
6.	**Laboratory Assistant**	For direct recruitment to the post of Laboratory Assistant, candidate must have a Bachelor's Degree in the related subject from a recognized University.
7.	**Ward Boy**	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) 02 years experience as Ward Boy.

Seasonal Clerk/Likhwar (Yatrakaleen)

1.	**Seasonal Clerk/Likhwar (Yatrakaleen)**	(1) Must have passed the Intermediate Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) Speed of 2400 key – depressions in Hindi typing on computer shall be mandatory.

Seasonal/Yatrakaleen – Class IV / Chaprasi / Caretaker / Mali / Swayam Sewak / Swachchak/Sewakar

1.	**Chaprasi / Caretaker / Mali / Swayam Sewak / Swachchak/Sewakar**	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) 02 years experience in the related work.

Class IV Service Cadre – Dafedar/Chaprasi / Sahayak/Security Guard/Guard (Chowkidar)/Mali/Pachak/Chowkidar/Khajana Gaurd/Caretaker/Fulara/Pharmacy Sahayak (Shramik)/Daftari

1.	**Security Guard/Khajana Guard/Guard (Chowkidar)**	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government.

		(2) Preference shall be given to candidates retired from Para Military Forces including all three wings of Indian Army.
2.	Mali	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the Government. (2) 02 years experience in the related work.
3.	Dafedar/Chaprasi/ Sahayak/Pachak /Chowkidar/ Caretaker/Fulara/ Pharmacy Sahayak (Sharamik)/Daftari	(1) Must have passed the High School Exam of the Uttar Pradesh Madhyamic Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) 02 years experience in the related work.

Class IV Service Cadre – Safai karmi

1.	Swachchata Nayak	(1) Must have passed the High School Examination of the Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Parishad or the Uttarakhand Vidyalayi Shiksha Parishad or any other exam declared its' equivalent by the government. (2) 02 years experience in the related work. Note – These rules shall not apply to those personnel who have been working/in service in Shri Badrinath and Shri Kedarnath Temple Committee before the commencement of these rules.

Preferential Qualification 9. To those candidates, who -

(1) Must have served for a period of at least two years in the Territorial Army.

(2) Other things being equal, Candidate having "B" OR "C" certificate of National Cadet Core shall be given preference.

Essential Qualification 10. (1) Shall be according to relevant section/rules/prescribed procedure of the Act.

(2) He must be a follower of the Hindu religion and follows and accepts the prevalent method of worship according to the traditions of the temple.

(3) He must be a domicile/permanent resident of the state of Uttarakhand.

(4) A person dismissed from a government or local authority shall be ineligible.

(5) A person who has been imprisoned for a crime of moral turpitude shall be ineligible.

Age **11.** For direct recruitment, candidate must have attained the minimum age as prescribed from time to time and should not have crossed the maximum age on the first July of the year in which the vacancies for direct recruitment are published by the Commission or any other appointing authority:

Provided that, according to the relevant section/rules/ prescribed provision of the Act, as notified by the state government, the maximum age may be increased as much as prescribed.

Character **12.** For direct recruitment to any post of service, the character of the candidate must be such that he is completely suitable for the job in government service. The appointing authority shall satisfy itself in this regard.

Note- (1) A person dismissed by the union government or the state government or local authority or corporation or body owned or controlled by the union government or state government shall not be eligible for appointment to any post in the service. A person convicted for a crime related to moral turpitude, shall also not be eligible for appointment.

Marital Status **13.** A male candidate who has more than one wife alive shall not be eligible or a woman candidate who has more than one husband alive shall not be eligible for appointment to any post in the service.

Provided that, if the government is satisfied that special reasons exist for doing so, it may exempt a person from the operation of this rule.

Physical Fitness **14.** No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and physical health and free from any physical defect which is likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to produce a fitness certificate according to the fundamental rule-10 as mentioned in Lesson – III, of Volume – III, Part –II of Financial Hand Book.

Provided that appointment to the posts marked for this purpose under Section 33 and categories marked under section 34 of The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Act No. 49 of 2016) shall not be denied to disabled persons:

Provided further that fitness certificate shall not be required from a candidate recruited by promotion

Part -5 Procedure for Recruitment

Determination of Vacancies 15. The appointing authority shall also determine the number of vacancies to be filled during the course of the year under relevant section/rule/prescribed provision of Act and information shall be provided to the government about the vacancies to be filled through the government.

Procedure for Recruitment 16. Procedure for direct recruitment, According to the relevant section/rule/prescribed procedure of the Act shall be as follows:-

(a) Procedure for recruitment through merger on posts of direct recruitment related to **Group "B"** and **"C"** :-

(1) The appointing authority shall invite applications for recruitment/appointment to various posts.

(2) No candidate shall be given admission without Admit card.

(3) The Temple Committee shall invite applications/publish advertisement for service/work on related posts on deputation from the eligible personnel of various government offices and corporations and autonomous institutions/bodies of departments of central / state government and the appointing authority/ the Selection Committee constituted for this purpose shall scrutinize and inspect the applications received and such candidates who are eligible for recruitment / appointment under these rules, shall according to rules/procedure be recruited/appointed firstly on deputation.

(4) After 01 year of satisfactory service of the personnel recruited on deputation, the Temple Committee shall according to the specified/prescribed/procedure/service conditions of the Merger Rules, merge the willing personnel on the concerned posts.

(b) Procedure for recruitment through direct recruitment on all general posts of Seasonal Clerk/all Seasonal Class IV posts and posts related to Group "D" :-

Note– "Seasonal" means Yatra period.

(a) The appointing authority shall invite applications for recruitment /appointment to various

posts. Application forms shall be given in prescribed format.

(b) No candidate shall be given admission without Admit card.

(c) Selection by direct recruitment on **Group "D"** posts shall be based on the following principles -- Selection by direct recruitment shall be on merit on the basis of the qualitative marks determined for educational qualification, experience etc., obtained by the candidates, which shall be as follows :-

Qualitative marks –

Sl. No.	**Name of Examination**	**Qualitative Marks**	**Maximum Marks**
1.	Purva Madhyama/ High School	Percentage of marks x 1 / 10	10
2.	Uttar Madhyama/ Intermediate	Percentage of marks x 2 / 10	20
3.	Experience	02 marks per year	20
---	**Total -**	------	**50**

(d) Appointment to **Group "D"** posts shall be made according to the relevant section/prescribed provision/rules and procedure prescribed from time to time of the Act, by the selection committee which shall be constituted as follows :-

(One) Appointing Authority - **President**

(Two) Chief Executive Officer **Member**

(Three) Officer on Special Duty/Finance Officer **Member**

Note -Recruitment/Recruitment Procedure/Rules, according to the relevant section/rule/prescribed provision of Act, shall be prescribed from time to time after the approval of the Committee by the Selection Committee constituted by the Appointing Authority.

Recruitment Procedure by Promotion

17. (1) Recruitment by promotion shall be made through the Selection Committee, constituted according to the relevant section/prescribed provision/procedure prescribed by the government from time to time, the Committee shall be constituted as follows :-

(One) Appointing Authority - **President**

(Two) According to rules any Gazetted officer or related/Marked category shall be nominated by President - **Member**

(Three) Chief Executive Officer

Member

(Four) Officer on Special Duty/Finance Officer

Member

(2) The Appointing Authority shall prepare a list of the eligible candidates in order of seniority and place the list before the Selection Committee along with their character roles and such other documents related to them as may be considered appropriate.

(3) The Selection Committee may take the interview of the candidates on the basis of the documents mentioned in sub rule (2).

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates according to the government orders in force for time being and forward it to the appointing authority:

Provided that under sub rule (2) or under this rule, while preparing the eligibility list, where selection is to be made from different feeding cadres, there;

(a) With respect to different pay scales, candidates with higher pay scale shall be placed higher in the eligibility list.

(b) With respect to equal pay scales, names of the candidates shall be placed in the eligibility list in order of the date of substantive appointment in their own cadres.

Joint Selection List **18.** If in any year, appointments are made both by direct recruitment and promotion then, taking the names from the relevant lists a joint list will be prepared in such a way that the prescribed percentage is maintained. The first name in the list shall be of the person appointed by promotion.

Part - 6 Appointment, Probation, Confirmation, Seniority

Appointment **19.** (1) Subject to sub rule (2), the appointing authority shall appoint the names of the candidates in the same order in which their names, as the case may be, appeared in the list prepared under rule 15, 16, 17 and 18.

(2) Where in any year, appointments are to be made both by direct recruitment and promotion, there, the regular appointments shall not be made unless selection is made from both the sources, and a joint list is prepared according to rule 18.

(3) If more than one order is issued with respect to a single selection, then a joint order shall also be

issued in which names of the persons shall be placed in order of seniority determined in selection. As determined in selection, as the case may be, or as is in that cadre, from which they are promoted.

If the promotion is made from both direct recruitment and promotion, then the names shall be placed in cyclical order according to the list prepared under rule 18.

(4) The appointing authority may make temporary or substitute appointments from the list prepared under sub rule (1). If no candidate from the lists is available then, under these rules the appointing authority may make appointments on such vacancies from amongst the eligible candidates. Such appointments shall not be made for more than one year or under these rules after the next selection, whichever is earlier and where the post is within the jurisdiction of the government, in that case, the provisions made by the government from time to time shall apply.

Probation **20.** (1) A person on being substantively appointed to any post through direct recruitment and if among the sources of recruitment one is direct recruitment, then, substantively appointed to any post by promotion, shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for such reasons which shall be recorded, in individual cases, extend the period of probation.

Provided that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority that during the period of probation or at any time or at its end or during the extended period of probation, a person under probation has not made sufficient use of his opportunities or his work or conduct has not been satisfactory, then he may be reverted to his substantive post, if any, and if does not hold a lien on any post, his services may be terminated.

(4) Such a probationer, who has been reverted under sub rule (3) or whose services have been terminated, shall not be entitled to any compensation.

(5) For the purpose of computing the period of probation, the appointing authority may allow to compute that continuous service, which may have

been rendered in officiating or temporary capacity on the post included in that special cadre or on an equivalent or higher post.

Confirmation **21.** A probationer may be confirmed in his appointment at the end of his period of probation or the extended period of probation, if --

(1) his work and conduct are reported to be satisfactory;

(2) his integrity is certified;

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise suitable for confirmation.

Seniority **22.** Seniority of any personnel in any category of posts shall be determined according to the relevant section/rule/prescribed provision of Act. The Uttarakhand Government Servants' Seniority Rules, 2002.

Part - 7 Pay Etc.,

Scales of Pay **23.** (1) The scales of pay admissible to persons appointed to various categories of posts in service shall be that which shall be determined from time to time according to the relevant section/rule/prescribed provision of Act.

(2) At the time of commencement of these rules pay scales are given at **Appendix 'A'**.

Pay During Probation Period **24.** (1) Notwithstanding any provision in the fundamental rules to the contrary, a person on probation, if not in permanent government service, shall be allowed first increment in the time scale on completion of one year of satisfactory service after passing departmental exam and training where prescribed and second increment after completion of two years' service on completion of period of probation and confirmation.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extended period shall not be counted for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) During probation, pay of such person who is already holding a post under the government, shall be regulated by the fundamental rules.

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extended period shall not be counted for increment.

(3) During probation, pay of such person who is already in permanent government service, shall be regulated by the relevant rules generally applicable to servants serving in connection with the affairs of the state.

Canvassing **25.** No recommendation, either written or oral other than recommendations required under the rules applicable to service or a post, shall be taken into consideration. Any attempt on part of the candidate for his candidature or direct or indirect support shall disqualify him for appointment.

Regulation of other Matters **26.** In regards to the matters not covered by these rules or specific rules, such persons appointed in service shall be regulated according to the relevant section/specific provision of Act, rules, regulation and orders generally applicable to serving personnel/servants serving in connection with the affairs of the state.

Relaxation from the Conditions of Service **27.** If it is resolved, according to the relevant section/rule/prescribed provision of the Act, that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in just and equitable manner.

Saving **28.** Nothing in these rules shall effect such reservation and other concessions which in this connection, is expected to be provided to persons of special category according to orders issued from time to time by the relevant section/rules/prescribed provision of the Act.

Appendix "A"

See {Rule 4(2) and 23(a)}

Sl. No.	Name of the Post	No. of Posts		According to VII th Pay Commission/Pay Matrix/ Level
		Permanent	Temporary	
1.	Chief Executive Officer	01	–	67700-208700 Level - 11
2.	Officer on Special Duty	01	–	67700-208700 Level - 11
3.	Finance Officer	---	01	56100-177500 Level - 10
4.	Deputy Chief Executive Officer	01	–	56100-177500 Level – 10
5.	Executive Officer	01	–	56100-177500 Level – 10
6.	Accounts Officer	01	–	47600-151100 Level – 8
7.	Executive Engineer	01	–	67700-208700 Level - 11
8.	Assistant Engineer	01	–	56100-177500 Level – 10
9.	Junior Engineer	04	–	44900-142400 Level – 7
10.	Publicity Officer	01	–	56100-177500 Level – 10
11.	Temple Officer	01	–	56100-177500 Level – 10
12.	Chief Administrative Officer	03	–	56100-177500 Level – 10
13.	Senior Administrative Officer	04	–	47600-151100 Level – 8
14.	Administrative Officer	04	–	44900-142400 Level – 7
15.	Head Assistant	09	–	35400-112400 Level – 6
16.	Senior Assistant	14	–	29200-92300 Level – 5

17.	Junior Assistant	15	–	21700-69100 Level – 3
18	Accountant	02	–	35400-112400 Level – 6
19	Assistant Accountant	02	–	29200-92300 Level – 5
20.	Treasurer/Kjajanchi	02	–	35400-112400 Level – 6
21.	Vyavasthapak	02	–	35400-112400 Level – 6
22.	Manager	05	–	21700-69100 Level – 3
23.	Media Incharge	01	–	29200-92300 Level – 5
24	Feature Writer	01	–	29200-92300 Level – 5
25.	Internet Coordinator	01	–	29200-92300 Level – 5
26.	Officer on Special Duty (Public Relation)/Public Relation Officer	01	–	56100-177500 Level – 10
27.	Personal Assistant	01	–	44900-142400 Level – 7
28.	Law Officer	01	–	56100-177500 Level – 10
29.	Property Inspector	02	–	35400-112400 Level – 6
30.	Photographer	01	–	29200-92300 Level – 5
31.	Laboratory Assistant	01	–	21700-69100 Level – 3
32.	Driver (Driver/Jeep and Truck)	07	–	19900-63200 Level – 2
33.	Conductor	03	–	18000-56900 Level – 1
34.	Wireman	03	–	18000-56900 Level – 1
35.	Plumber	01	–	18000-56900 Level – 1
36.	Work Supervisor	01	–	18000-56900 Level – 1

37.	Dafedar	02	–	18000-56900 Level – 1
38.	Chaprasi	31	–	18000-56900 Level – 1
39.	Mali	05	–	18000-56900 Level – 1
40.	Chowkidar	13	–	18000-56900 Level – 1
41.	Guard (Chowkidar)	02	–	18000-56900 Level – 1
42.	Khajana Guard	03	–	18000-56900 Level – 1
43.	Caretaker/Chaprasi	06	–	18000-56900 Level – 1
44.	Fulara	02	–	18000-56900 Level – 1
45.	Pharmacy Assistant (Shramik)	03	–	18000-56900 Level – 1
46.	Daftari	01	–	18000-56900 Level – 1
47.	Ward Boy	01	–	18000-56900 Level – 1
48.	Pachak	04	–	18000-56900 Level – 1
49.	Head Swachchak	01	–	18000-56900 Level – 1
50.	Swachchata Nayak	22	–	18000-56900 Level – 1
51.	Jamadar	01	–	18000-56900 Level – 1
52.	Swachchak	10	–	18000-56900 Level – 1
53.	Principal	01	–	56100-177500 Level – 10
54.	Lecturer	03	–	47600-151100 Level – 8
55.	Vaidya	01	–	35400-112400 Level – 6
56.	Demonstrator	03	–	44900-142400 Level – 7
57.	Pharmacist	01	–	35400-112400 Level – 6

58.	Ward Boy	01	—	18000-56900 Level – 1
59.	Seasonal Clerk	--	06	21700-69100 Level – 3
60.	Conductor (Temporary) Full time	--	01	18000-56900 Level – 1
61.	Conductor (Rawal ji) Yatrakaleen	--	01	18000-56900 Level – 1
62.	Likhwar (Yatrakaleen)	--	01	21700-69100 Level – 3
63.	Yatrakaleen Chaprasi/Caretaker/Mali /Swayam Sewak	---	25	18000-56900 Level – 1
64.	Seasonal Sewakar	--	02	18000-56900 Level – 1
65.	Seasonal Swachchak	--	14	18000-56900 Level – 1
----	Total Posts	217	51	268

By Order,

HARICHANDRA SEMWAL,
Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/65–भाग 1–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024 ई0 (माघ 28, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 11, 2024

No. 07/UHC/Admin.A-II/2024--Shri S.M.D. Danish, Principal Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Government of Uttarakhand, Dehradun is repatriated, transferred and posted as District & Sessions Judge, Rudraprayag, in the vacant Court, with immediate effect.

Note:

(A) Recommendation of the name of Shri Dhananjay Chaturvedi, the then District & Sessions Judge, Chamoli, who was placed under suspension vide Office-Memorandum No-74/UHC/ Admin.A-II/2023 dated 24.07.2023 and now has been reinstated vide Office Memorandum No. 08/UHC/Admin.A-II/2024 dated 11.01.2024, is being sent to the State Government for his posting as Principal Secretary, Legislative & Parliamentary Affairs, Government of Uttarakhand Dehradun, vice Shri S.M.D. Danish.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

NOTIFICATION

January 11, 2024

No. 08/UHC/Admin.A(I.T.)/2024--In exercise of the powers conferred by Article 227 (2) of the Constitution of India, the High Court of Uttarakhand, Nainital with approval of the Governor of Uttarakhand, is pleased to make the following amendments in General Rules (Civil), 1957 and General Rules (Criminal), 1977 (applicable to High Court of Uttarakhand under U.P. Reorganization Act. 2000):-

S. No.	Existing Rule	Amended Rules
1.	**General Rules (Civil), 1957** **Chapter-I** **Preliminary** **Rule-4. Definitions**	**Rule-4. Definitions** *Insertion of following definition-* "National Service and Tracking of Electronic Processes (NSTEP)" means technology enabled process serving and issuing of summons.
2.	**General Rules (Civil), 1957** **Chapter-I** **Preliminary** **Rule-14. Attendance register** A register of attendance in the form sub-joined shall be kept by every Judge in his own hand and shall be signed by him at the end of each month; Provided that in case of a change during the month the officer relieved and the relieving officers shall respectively sign their own registers up to date. The District Judge shall forward a true copy of his own register to the High Court at the end of each month and shall also report if the subordinate Courts have observed Court hours during the month. The registers of all subordinate Courts at headquarters shall be submitted to the District Judge by 10.35 a.m. each day and true copies of registers of outlying Courts shall be submitted to the District Judge at the end of each month. The District Judge may pass necessary orders about the timings observed by subordinate Courts and shall forward such registers or their copies to the High Court only if he considers it necessary. Attendance Recorded by Biometric Attendance System shall also be valid and above Rule pertaining to attendance register shall apply mutatis mutandis to the printed sheet from Biometric Attendance System. **Register of Daily Sittings** In the Court of Month of ... AD Date | On the Bench | In Chambers | Remarks	*Rule 14 shall be replaced by following amendment-* **Rule-14. e-Attendance register** A register of attendance in the form provided in Case Information System Software shall be kept in electronic form by every Judge with his Login Credentials; Provided that in case of a change during the month the officer relieved and the relieving officers shall respectively Login with their own Login Credentials. Such e-register of attendance shall be accessible to the concerned District Judge and High Court electronically. Registers of Courts not connected with District Case Information System Server shall be imported electronically into the District Court Server at the end of the month. The District Judge may pass necessary orders about the timings observed by Courts. Attendance Recorded by Biometric Attendance System shall also be valid and above Rule pertaining to attendance register shall apply *mutatis mutandis* to the printed sheet from Biometric Attendance System.

Register of Daily Sittings (embedded in S. No. 2, Existing Rule)

In the Court of

Month of		AD	
Date	On the Bench	In Chambers	Remarks

<table>
<tr>
<td>3.</td>
<td>General Rules (Civil), 1957
Chapter-I
Preliminary

Rule 16. Weekly Cause List

A weekly list, in the form subjoined, of cases fixed for hearing, prepared in legible Hindi or cause list generated through CIS software and signed by the Munsarim of the Court, shall be posted on the last working day of the previous week in some conspicuous place in every Court house. In the preparation of such list precedence shall be given to cases, which are at hearing or have been already adjourned, and the order in which cases are entered shall not be departed from without the express order of the presiding Judge of the Court.

Space shall be left in the list, at the head of the entries of each day for the subsequent insertion, if necessary, of adjourned cases.

In the fourth column it shall be noted in regard to each case for what purpose it is to be laid before the Court; whether, for instance, for settlement of issues or for final disposal or for delivery of judgment.

Form
Date, Month and Year.......
<table>
<tr><th>Number and description of case</th><th>Name of Parties</th><th>Name of Parties, lawyers</th><th>Purpose</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
N.B. – The maintenance of Memorandum book form Nos. 77, 78 and 79 does not obviate the necessity of complying with this rule.</td>
<td>Title and rule be replaced by following amendment-

Rule 16. Cause List

Cause list shall be accessible on the official website of each District Court in the form auto generated by CIS Software.

Information about Video Conferencing Link shall be made available in the Cause List or navigable through the official website of each District Court.</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>General Rules (Civil), 1957

CHAPTER IV
SUMMONSES AND OTHER PROCESSES
A-Summonses and other Processes (General)

Rule 102. Parties to file summons.
(a) A party shall file with the plaint, memorandum of appeal, or an application requiring the issue of a summons/notice, a printed summons/notice form in duplicate, in the Nagri character, duly filled up except in respect of the date of appearance/hearing and date of issue of the summons/notice. The Court may also direct a party in any proceeding to file a summons or notice filled up as above to be served on the opposite party.
Provided that the Presiding Officer may in his discretion direct that such forms in general or any particular such form be filled up entirely in the office of the Court.</td>
<td>Proviso to Rule 102(a) shall be replaced by following amendment

Rule 102. Parties to file summons.
(a) A party shall file with the plaint, memorandum of appeal, or an application requiring the issue of a summons/notice, a printed summons/notice form in duplicate, in the Nagri character, duly filled up except in respect of the date of appearance/hearing and date of issue of the summons/notice. The Court may also direct a party in any proceeding to file a summons or notice filled up as above to be served on the opposite party.
Provided that the process generated electronically through the Case Information System Software with QR Code will be authentic without the signature of the Presiding Officer and seal of the court.</td>
</tr>
</table>

5.	General Rules (Civil), 1957 CHAPTER IV SUMMONSES AND OTHER PROCESSES C-Service of processes	*Following Provisos shall be added before the Note-1 of Rule 138.*
	138. Mode of service of processes. A process should be served with utmost care. One copy is to be delivered to the person named in the summons or to any adult member whether male or female of the family of the person or such other person as may be authorized to receive it for him. On the other copy must be entered the acknowledgment of the person served attested by the neighbours after explaining the contents of the process to him. The process server shall prepare his report on the spot at the time of executing the process. NOTE : (1) *It should be impressed upon the process servers that it is their duty and not of the party concerned to find out the person on whom the process is to be served. It is not necessary for the party to accompany them for identifying that person. They should seek the assistance of the village headman, Lekhpal, Chaukidar, etc. to find out person on whom the process is to be served.* NOTE: (2) *A process served on a pleader of any party or left at his office or residence shall be presumed to have reached the party whom the pleader represents.*	**138. Mode of service of processes.** A process should be served with utmost care. One copy is to be delivered to the person named in the summons or to any adult member whether male or female of the family of the person or such other person as may be authorized to receive it for him. On the other copy must be entered the acknowledgment of the person served attested by the neighbours after explaining the contents of the process to him. The process server shall prepare his report on the spot at the time of executing the process. **Provided that when the process is served through NSTEP or through any other similar application prescribed by the High Court, the signature or thumb impression of the party served on the handheld electronic gadget of the serving officer shall constitute the acknowledgement within the meaning of this Rule.** **Provided further that the photograph of the party Served/Refused the process along with the geo-tagged photo of the location captured by the process server shall be sufficient proof of service within the meaning of this Rule.** NOTE : (1) *It should be impressed upon the process servers that it is their duty and not of the party concerned to find out the person on whom the process is to be served. It is not necessary for the party to accompany them for identifying that person. They should seek the assistance of the village headman, Lekhpal, Chaukidar, etc. to find out person on whom the process is to be served.* NOTE: (2) *A process served on a pleader of any party or left at his office or residence shall be presumed to have reached the party whom the pleader represents.*
	139. Witnesses to service. If the summons is affixed on the outer door of a house an acknowledgement of this fact is to be taken from two respectable persons of the locality in a town or from headmen, Lekhpals, Chowkidars, or neighbours in a village.	*Following Proviso shall be added after existing Rule 139-* **139. Witnesses to service.** If the summons is affixed on the outer door of a house an acknowledgement of this fact is to be taken from two respectable persons of the locality in a town or from headmen, Lekhpals, Chowkidars, or neighbours in a village.

Provided that when the process is served through NSTEP or through any other similar application prescribed by the High Court, the photograph of such affixation on the outer door of the house along with the geo-tagged photo of the location captured by the process server shall be sufficient proof within the meaning of this Rule.

6.

General Rules (Civil), 1957
Chapter-XIV
Civil Court Registers

Rule. 401-Memorandum books for all civil courts-

Sub-rule (4)

Presiding Officers shall keep a diary in their own handwriting in the following form in which they shall note for their own use the dates fixed in all contested cases with, where possible, a rough estimate of time likely to be occupied.

This sub-rule shall not apply to Small Cause Court and miscellaneous cases, for which special days should ordinarily be allotted. They shall, however, be shown in the same diary or in a separate diary under separate heads under the supervision and control of the Presiding Officer. The old or otherwise important cases amongst them shall be entered in the diary by the Presiding Officer in his own hand so as to avoid the chance of their being over-looked. Criminal cases shall also be entered in the diary by the Presiding Officer in his own hand with such particulars as may be considered necessary.

FORM
Diary of Date

Case no.	The number of time already adjourned			p.s.	Sections	Name of the Parties	Purpose	Rough estimate of time likely to be occurred	Remark
	At the instance of Plaintiff	At the instance of	Others						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

A proviso to be added after Sub-rule (3)-

Provided that Case Information, auto generated by Case Information System Software in electronic form for each Court available on the official website of each District Court under e-Courts services shall constitute sufficient compliance of sub rule (1), (2) and (3) above.

Sub-Rule (4) of Rule 401 shall be substituted by following-

Sub-rule (4)

Presiding Officers shall keep updated username/password protected digital repository Court Management tool JustIS Application Software that provides all details about Court cases at the handset.

<table>
<tr>
<td>7.</td>
<td>General Rules (Civil), 1957
Chapter-XXVII
MISCELLANEOUS

641. Casual Leave.

Applications for casual leave or special casual leave by a District Judge shall be submitted to the High Court direct.
Applications for similar leave by an Additional District Judge or other Judicial Officers posted in the district shall be submitted to the District Judge and casual leave up to fourteen days and special casual leave up to four days in a calendar year may be allowed by the District Judge. The special casual leave may be allowed only for urgent and special reasons.
Ordinarily the casual leave or special casual leave will not be permitted to be converted into earned leave.
Presiding Officers may allow to their staff casual leave up to fourteen days in a calendar year, and may for urgent and special reasons also grant special casual leave up to four days in a calendar year. Ordinarily the casual leave and special casual leave will not be permitted to be converted into earned leave.</td>
<td>Rule 641 shall be substituted by following-

641. Casual Leave.

Applications for casual leave or special casual leave by a District Judge shall be submitted to the High Court in electronic form through Leave Management Portal in advance within a reasonable time.
Applications for similar leave by an Additional District Judge or other Judicial Officers posted in the district shall be submitted to the District Judge in electronic form through Leave Management Portal in advance within a reasonable time and casual leave up to fourteen days and special casual leave up to four days in a calendar year may be allowed by the District Judge. The special casual leave may be allowed only for urgent and special reasons to be entered into the Leave Management Portal.
Ordinarily the casual leave or special casual leave will not be permitted to be converted into earned leave.
Presiding Officers may allow to their staff casual leave up to fourteen days in a calendar year, and may for urgent and special reasons also grant special casual leave up to four days in a calendar year. Ordinarily the casual leave and special casual leave will not be permitted to be converted into earned leave.</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>General Rules (Criminal), 1977
Part-I
Chapter-I
Preliminary

5. Weekly list of cases

A weekly list of cases fixed for hearing, in the court of a magistrate prepared in prescribed form in legible Hindi, shall be posted on the last working day of the previous week in some conspicuous place in every court house. Space shall be left in the list, at the head of the entries for each day, for subsequent insertion, if necessary, of adjourned cases.

PRESCRIBED FORM
<table>
<tr><td>Serial no. of the case</td><td>Parties</td><td>PS</td><td>Section and Act</td><td>Purpose</td><td>Counsel for accused</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
</table>
</td>
<td>Rule 5, 5A and 5B along with Title shall be substituted by following

5. Cause List of cases

Cause list shall be accessible on the official website of each District Court in the form auto generated by CIS Software.

Information about Video Conferencing Link shall be made available in the Cause List or navigable through the official website of each District Court.</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td>5A. Memorandum Book of dates for Criminal Courts.
A memorandum book of dates of all cases and applications fixed before the Court shall be maintained in the form given below:

MEMORANDUM BOOK OF DATES FOR CRIMINAL COURTS
Court of the ....of ......
<table>
<tr><td colspan="6">Description</td><td rowspan="2">Purpose</td><td rowspan="2">Result</td><td rowspan="2">Remark</td></tr>
<tr><td>Date</td><td>No/year</td><td>Parties</td><td>Section</td><td>Ps</td><td>Counsel</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>5A. Case Information.
Case Information auto generated by Case Information System Software in electronic form for each Court shall be made available on the official website of each District Court under e-Courts services.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>5B. Court Diary-A court diary either handwritten in legible handwriting or printed upto date cause list through CIS software shall be maintained in the Form given below Rule 401(4) General Rules (Civil) by Presiding Officer doing criminal work, in which last two columns shall be filled up in his own handwriting.</td>
<td>5B. Presiding Officers shall keep updated username/password protected digital repository Court Management tool JustIS Application Software that provides all details about Court cases at the handset.</td>
</tr>
</table>

These amendments shall come into force with immediate effect.

By Order of Hon'ble the Court,

Sd/-

ASHISH NAITHANI,

Registrar General.

NOTIFICATION

January 12, 2024

No. 09/XIVa-31/Admin.A/2021--Ms. Harshita Sharma, 3rd Addl. Civil Judge (Jr. Div.), Kashipur District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 05 days w.e.f. 04.12.2023 to 08.12.2023.

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

NOTIFICATION

January 12, 2024

No. 10/XIV/a-40/Admin.A/2021--Shri Samshad Ali, Civil Judge (Jr. Div.), Mussoorie District Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 23.11.2023 to 02.12.2023 with permission to suffix 03.12.2023 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

January 12, 2024

No. 11/XIV-69/Admin.A/2003--Ms. Rama Pandey, 1st Addl. District & Sessions Judge, Roorkee, District Haridwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 11.12.2023 to 20.12.2023 with permission to 09.12.2023 & 10.12.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively.

NOTIFICATION

January 12, 2024

No. 12/XIV/a-40/Admin.A/2017--Ms. Nisha Devi, Civil Judge (Jr. Div.), Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 20.11.2023 to 02.12.2023 with permission to prefix 19.11.2023 & suffix 03.12.2023 as Sunday holidays.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/65–भाग 1–क–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024 ई0 (माघ 28, 1945 शक सम्वत्)

भाग 7

इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

30 जनवरी, 2024 ई0

सं.76/उत्तराखण्ड–वि.स./09/2022/सी.ई.एम.एस.–III–यतः, उत्तराखण्ड राज्य की **09–घनसाली** विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464/उत्तरा0–वि0स0/2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः09-घनसाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार **श्री विजय प्रकाश,** जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र **09-घनसाली** से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 केनियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री विजय प्रकाश, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स./09/2022/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20 अक्टूबर,2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री विजय प्रकाश, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र संख्या 1860/29-23/2021 दिनांक 29.11.2022 जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं0 891/XXV-22(II)/2008 दिनांक15.06.2023 के द्वारा अग्रेषित कर आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस अभ्यर्थी के भाई श्री विजय थपलियाल, द्वारा दिनांक 26.11.2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा अपने पत्र संख्या 947/29-23-(2)/2023 नई टिहरी, दिनांक 12.10.2023 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई अनुपूरक रिपोर्ट दिनांक 12.10.2023 में यह बताया गया है कि श्री विजय प्रकाश, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विजय प्रकाश, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 09-घनसाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री विजय प्रकाश, निवासी ग्राम एंव पोस्ट- मल्याकोट, पट्टी- नैलचामी, घनसाली, टिहरी गढ़वाल, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
किशन सिंह नेगी,
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi-110001

ORDER

January 30, 2024

No. 76/Uttarakhand-LA/09/2022/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to **09-Ghansali Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022.**

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with **09-Ghansali** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, **Tehri Garhwal, Uttarakhand** and forwarded by the Chief Electoral Officer, **Uttarakhand** vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22th April, 2021, **Sh. Vijay Prakash,** a contesting candidate of **Uttarakhand** from **09-Ghansali** Assembly Constituency of **Uttarakhand**, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer Tehri Garhwal, Uttarakhand** and the Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** a Show-Cause notice, 76/Uttarakhand -LA/2022/09/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Vijay Prakash,** for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, **Sh. Vijay Prakash,** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's brother Sh. Vijay Thapliyal on 26.11.2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Tehri Garhwal,** vide its letter No. 1860/29-23/2021 dated 29.11.2022; forwarded by Chief Electoral Officer, **Uttarakhand,** letter no.891/XXV-22(II)/2008 date15.06.2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Tehri Garhwal, in his Supplementary Report dated 12.10.2023 vide its letter No. 947/29-23-(2)/2023 New Tehri, dated 12.10.2023 forwarded by has reported that **Sh. Vijay Prakash** has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the

Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that **Sh. Vijay Prakash**, has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Vijay Prakash** resident of **Village & Post- Malyakot, Patti- Nailchami, Ghansali, Tehri Garhwal,** a contesting candidate from **09-Ghansali** Assembly Constituency of the State of **Uttarakhand** in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,

Secretary,
Election Commission of India.

By Order,

KISHAN SINGH NEGI,

Deputy Chief Electoral Officer,

Uttarakhand.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

आदेश

30 जनवरी, 2024 ई0

सं.76 / उत्तराखण्ड–वि.स. / 32 / 2022 / सी.ई.एम.एस.–III–यतः, उत्तराखण्ड राज्य की 32–खानपुर, विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं. 464 / उत्तरा0–वि0स0 / 2022 दिनांक 21.01.2022 के जरिए की गई थी।

यतःलोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 32-खानपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड के द्वारा प्रस्तुत और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा पत्र सं. 2782/XXV-53/2022 देहरादून के जरिए अग्रेषित दिनांक 22/04/2022 की रिपोर्ट के अनुसार मनोरमा त्यागी, जो उत्तराखण्ड विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 32-खानपुर, से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार, उत्तराखण्ड, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए मनोरमा त्यागी, को कारण बताओ नोटिस सं. 76/उत्तराखण्ड-वि.स./32/2022/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 20अक्टूबर,2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए मनोरमा त्यागी, को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार ने अपने पत्र संख्या 1152/29-40(निर्वा0 व्यय लेखा)/2022 दिनांक13.12.2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई कि उक्त नोटिस दिनांक 08.11.2022 को दक्षिण मुहाना दुकान पर चस्पा कर दिया एंव अभ्यर्थी के शपथ मे अंकित ई-मेल पर जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नोटिस दिनांक 27.09.2023 को भेज दिया गया।; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार द्वारा अपने पत्र संख्या 1152/29--40(निर्वाचन व्ययलेखा)/2022 दिनांक 13.12.2023 के द्वारा अग्रेषित कर भेजी गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मनोरमा त्यागी, ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत भी उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है;और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि मनोरमा त्यागी, निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति -

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तराखण्ड राज्य के 32-खानपुर, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी मनोरमा त्यागी, निवासी म0न0 एल-88, ग्राम जलालपुरए दुर्गा कॉलोनी, पो0- टोडा कल्याणपुर, तहसील- रूड़की, जिला- हरिद्वार, को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
किशन सिंह नेगी,
उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi-110001

ORDER

January 30, 2024

No. 76/Uttarakhand-LA/32/2022/CEMS-III--WHEREAS, the General Election to **32-Khanpur**, Legislative Assembly of Uttarakhand, 2022 was held vide Notification No. 464/Uttarakhand-LA/2022 dated 21st January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with **32-Khanpur** Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022. Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the report submitted by the District Election Officer, **Haridwar, Uttarakhand** and forwarded by the Chief Electoral Officer, **Uttarakhand** vide their letter No. 2782/XXV-53/2022, dated 22th April, 2021, **Manorma Taygi**, a contesting candidate of **Uttarakhand** from **32-Khanpur**, Assembly Constituency of **Uttarakhand**, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of **the District Election Officer Haridwar, Uttarakhand** and the Chief Electoral Officer,**Uttarakhand**, a Show-Cause notice, 76/Uttarakhand -LA/2022/32/CEMS-III dated 20.10.2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Manorma Taygi**, for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 20.10.2022, **Manorma Taygi,** was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was pasted at dakshin muhana dukan on 08.11.2022 and an email were also sent on 27.09.2023 by the district election officer at email-id given by the candidate on affidavit. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, **Haridwar,** vide its letter 1152/29-40(निर्वा0 व्यय लेखा)/2022 dated 13.12.2023, and;

WHEREAS, the District Election Officer, Haridwar, in his Supplementary Report forwarded vide its letter No. 1152/29-40(निर्वा0 व्यय लेखा)/2022 दिनांक13.12.2023 reported that **Manorma Taygi,** neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he neither furnished any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that **Manorma Taygi,** has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure,

the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Manorma Taygi,** resident of **H.N. L-88, Village- Jalalpur Durga Colony, PO- Toda Kalyanpur, Tehsil Roorkee, District- Haridwar,** a contesting candidate from **32-Khanpur,** Assembly Constituency of the State of **Uttarakhand** in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

BINOD KUMAR,

Secretary,

Election Commission of India.

By Order,

KISHAN SINGH NEGI,

Deputy Chief Electoral Officer,

Uttarakhand.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

अधिसूचना

31 जनवरी, 2024 ई0

सं.154 / UKD/2023-P.Admn–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13–क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा, श्री वी. षणमुगम, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, आई.ए.एस. (यू.के.डी.:2004) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए उत्तराखण्ड राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के रूप में कार्य करते हुए उत्तराखण्ड सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

आदेश से,

राहुल शर्मा,

प्रधान सचिव।

आज्ञा से,

दिलीप जावलकर,

सचिव,

निर्वाचन, उत्तराखण्ड शासन।

SECRETARIAT OF THE
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan Ashoka Road New Delhi-110001

NOTIFICATION

31st January, 2024

No. 154/UKD/2023-P.Admn.-In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Uttarakhand hereby designates Shri B.V.R.C Purushottam, IAS, (UKD:2004) as the Chief Electoral Officer for the State of Uttarakhand with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri V. Shanmugam, IAS.

2. Shri B.V.R.C Purushottam, shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Uttarakhand, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri B.V.R.C Purushottam, while functioning as the Chief Electoral Officer, Uttarakhand shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Uttarakhand except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

By Order,

RAHUL SHARMA,

Principal Secretary.

By Order,

DILIP JAWALKAR,

Secretary,

Election, Uttarakhand.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 हिन्दी गजट/65–भाग 7–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 17 फरवरी, 2024 ई० (माघ 28, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपना नाम GANESH SINGH से बदलकर GANESH SINGH CHHETRI रख लिया हैं, भविष्य में मुझे GANESH SINGH CHHETRI S/O BIR SINGH के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

GANESH SINGH CHHETRI
S/O BIR SINGH
निवासी विजयपुर हाथीबडकला
नया गांव अनारवाला देहरादून
उत्तराखण्ड।

सूचना

I Dipmoni Dekaraja S/o Late Bhogdhar Dekaraja, That my actual and correct name is DIPMONI DEKARAJA was mistakenly recorded as D.M. DEKARAJA in my son's educational documents instead of my correct name. That as a matter of fact, DIPMONI DEKARAJA AND D.M. DEKARAJA is the same and single person, i.e. myself, This is true.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Dipmoni Dekaraja S/o Late Bhogdhar
Dekaraja Address-119 Fd Wksp Coy, EME
Pin-906119 C/o 56 APO Roorkee

सूचना

मैंने निजी कारणों से अपने पुत्र का नाम शुभ से बदल कर लक्ष्य कुमार Lakshay Kumar कर लिया है। भविष्य मे मेरे पुत्र को लक्ष्य कुमार पुत्र विशाल कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

नीता पत्नी विशाल कुमार, निवासी 380/1 नया
मकान नं0 853 धोबी गली पुरानी तहसील रुडकी
जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं0 720694237271 में त्रुटिवश उसका नाम आरुषा बहुगुणा दर्ज हो गया है जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम त्रिशिका बहुगुणा है, भविष्य में मेरी पुत्री को त्रिशिका बहुगुणा पुत्री श्री अशोक कुमार के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

अशोक कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद
निवासी वॉर्ड न0–03, एनडीएस विद्यालय
के पीछे श्यामपुर, देहरादून।

सूचना

मेरे हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट के प्रमाण–पत्रों में त्रुटिवश मेरा नाम Ramesh Singh व माता का नाम Chhoti Devi दर्ज हो गया है जबकि मेरा वास्तविक नाम Ramesh Singh Padiyaar व माता का सही नाम Vimla Kumari Padiyaar है। भविष्य में हमें सही नाम से जाना व पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Ramesh Singh Padiyaar S/o Surat
Singh Add-Lengarth Po. Office
Kamand Patti Tikhon Tehri Garhwal.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 हिन्दी गजट/65–भाग 8–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।